अध्याय–2

सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों की अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय का सारांशः

इस अध्याय में सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत विभागों अर्थात् खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, समाज कल्याण विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित चार अनुपालन लेखापरीक्षाओं के परिणाम शामिल हैं।

महामारी के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण प्रबंधन का अनुपालन लेखापरीक्षा कोविड–19 महामारी के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और आत्मनिर्भर भारत योजना (एएनबीएस) के तहत लक्षित हितग्राहियों को खाद्यान्न के वितरण का आकलन करने के लिए किया गया। लेखापरीक्षा में महामारी के दौरान लक्षित हितग्राहियों को अतिरिक्त चावल और चना के वितरण में कमियां देखी गई। राज्य सरकार एएनबीएस के तहत 30,218 प्रवासी व्यक्तियों और 20,395 परिवार, जो योजना के तहत पंजीकृत थे लेकिन उचित मूल्य दुकान तक नहीं पहुंचे, उनको क्रमशः चावल और चना वितरित करने में विफल रही। एएनबीएस के तहत एक ही हितग्राही की अनेक आईडी उत्पन्न होने के कारण 2,644 व्यक्तियों और 1,641 परिवारों को एक से अधिक बार सूचीबद्ध किया गया और चावल (283.01 क्विंटल) और चना (35.98 क्विंटल) की अधिक मात्रा वितरित की गई। नमूना जाँच किए गए उचित मूल्य दुकानों में 88 प्रतिशत पीएमजीकेएवाई और 85 प्रतिशत एएनबीएस के लिए अलग–अलग भंडार और वितरण पंजी नहीं बनाए गए थे।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के कार्यान्वयन का अनुपालन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि क्या डीबीटी के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन में दक्षता आई है और हितग्राहियों को पेंशन के अंतरण की प्रक्रिया में मध्यवर्ती स्तर और विलंब को कम किया गया है। लेखापरीक्षा ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत डीबीटी के कार्यान्वयन में कमियां देखी जैसे पेंशन की मंजूरी और संवितरण में विलंब; हितग्राहियों का दोहराव; 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई दरों पर पेंशन नहीं मिलना; पेंशनर की मृत्यु के बाद पेंशन बंद करने में विलंब; अपात्र हितग्राहियों (60 वर्ष से कम आयु वाले) को पेंशन स्वीकृत करने के साथ–साथ पेंशनभोगियों के डेटा के सत्यापन एवं डिजिटलीकरण में कमियां।

लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग में कार्यों में उपयोग किए गए गौण खनिजों के रॉयल्टी प्रभारों की कटौती का अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए किया गया था कि क्या विभाग ठेकेदार के देयकों से रॉयल्टी प्रभारों की कटौती छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों एवं खनिज साधन विभाग एवं वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार कर रहे हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि दोनों विभागों ने संशोधित नियमों के अनुसार निर्माण कार्यों के लिए निष्पादित अनुबंधों में मौजूदा रॉयल्टी क्लॉज को पुनरीक्षित नहीं किया। ठेकेदारों से रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र (आरसीसी) प्राप्त किए बिना उन्हें अंतिम भुगतान किया गया। शासकीय कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों का बाजार मूल्य ठेकेदारों के देयकों से नहीं काटा गया। बाजार दर जारी करने में जिला कलेक्टरों के द्वारा विलंब किया गया। ठेकेदारों के देयकों से काटे गए रॉयल्टी प्रभारों को खनिज साधन विभाग के खाते में निश्चित समयावधि के भीतर जमा नहीं किया गया।

''मानक विशिष्टियों (भारतीय मानक–456:2000) के अनुसार सीमेंट कंक्रीट कार्यों के निष्पादन'' के अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य, सीमेंट कंक्रीट कार्यों (प्लेन सीमेंट कंक्रीटः पीसीसी और रीईनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीटः आरसीसी) का आईएस कोड 456:2000 के निर्धारित मानदंड के अनुसार निष्पादन और सीमेंट कंक्रीट के गुणवत्ता परीक्षण हेतु विभाग के पास पर्याप्त श्रमशक्ति और उपकरण/मशीनरी की उपलब्धता की समीक्षा करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग की पाँच गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों में से चार में 80 प्रतिशत तक श्रमशक्ति की कमी थी और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में आवश्यक संख्या में मशीनरी/उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। श्रमशक्ति और मशीनरी की कमी के कारण कंक्रीट क्यूब्स के परीक्षण की आवृत्ति आईएस कोड में परिकल्पित मानदंडों से कम थी और प्रत्येक नमूने के लिए आवश्यक औसत प्रतिरूप नहीं लिए गए थे। आगे, कंक्रीट क्यूब्स के परीक्षण के परिणामों से यह इंगित हुआ कि 93 प्रतिशत नमूने कंक्रीट की वांछित शक्ति हेतु स्वीकार्य मानदंड प्राप्त करने में विफल रहे। विभाग ने आईएस कोड 456:2000 का पालन नहीं किया और कंक्रीट के निम्न श्रेणी अर्थात पीसीसी कार्यों के लिए एम–7.5 और एम–10 और आरसीसी कार्यों के लिए एम–15 और एम–20 के साथ कार्य निष्पादित किया। पाँच अनुबंधों में ₹ 9.70 करोड़ मूल्य के 6,252 घन मीटर कार्य को डिजाइन मिक्स तैयार किए बिना ही अनियमित रूप से नॉमिनल मिक्स से निष्पादित किया गया।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

2.1 महामारी के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण का प्रबंधन

2.1.1 परिचय

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) किफायती मूल्य पर खाद्यान्न के वितरण के माध्यम से कमी के प्रबंधन की एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई है तथा इसे केन्द्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त उत्तरदायित्व के तहत संचालित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में पीडीएस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम (सीजीएफएसए), 2012 तथा भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के परिपत्रों/जारी आदेशों द्वारा नियंत्रित है। एनएफएसए के अंतर्गत दो श्रेणियों यथा अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता परिवार (पीएचएच) शामिल है। राज्य में एनएफएसए तथा सीजीएफएसए के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता परिवार श्रेणियों में 217.12 लाख हितग्राही थे, जैसा कि **तालिका 2.1.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.1: हितग्राहियों की संख्या (लाख में)

श्रेणी	अंत्योदय अन्न योजना		प्राथमिकता परिवार		योग	
	कार्ड	सदस्य	कार्ड	सदस्य	कार्ड	सदस्य
एनएफएसए	7.25	19.65	40.33	167.31	47.58	186.96
सीजीएफएसए	2.93	8.51	2.35	7.73	5.28	16.24
सीजीएफएसए–एनएफएसए–पीएचएच	3.82	13.92	0	0	3.82	13.92
योग	**14.00**	**42.08**	**42.68**	**175.04**	**56.68**	**217.12**

(स्त्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

देश में कोविड–19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा 25 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक चार चरणों[1] में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था। इसके बाद भारत सरकार ने सभी एनएफएसए हितग्राहियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) तथा सभी प्रवासियों/फंसे हुए प्रवासियों और ऐसे सभी लोग जो एनएफएसए या राज्य पीडीएस योजना के तहत कवर नहीं किये गये थे, के लिए आत्म निर्भर भारत योजना (एएनबीएस) की घोषणा की। ''अनलॉक'' की श्रृंखला में प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से जून में हटाना शुरू किया गया जो कि नवंबर 2020 तक चला।

भारत सरकार एवं छत्तीसगढ शासन के उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत, गरीब लोगों को नियमित एनएफएसए/सीजीएफएसए पात्रता के अलावा अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया गया जिससे उन्हें महामारी के दौरान आवश्यक आपूर्ति में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

[1] चरण I: 25 मार्च–14 अप्रैल (21 दिन), चरण II: 15 अप्रैल–3 मई (19 दिन), चरण III: 4 मई–17 मई (14 दिन), चरण IV: 18 मई–31 मई (14 दिन)

2.1.2 कोविड–19 अवधि के दौरान भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पीडीएस के अंतर्गत शुरू योजनाएं

कोविड–19 अवधि के दौरान भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा शुरू योजनाओं का विवरण **तालिका 2.1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.2: महामारी की अवधि के दौरान शुरू योजनाओं का विवरण

योजना	योजना का लाभ	योजना की अवधि	पात्रता
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई– केन्द्रीय योजना)	पाँच कि.ग्रा. अतिरिक्त चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह एवं एक कि.ग्रा. चना प्रति परिवार प्रति माह निःशुल्क	अप्रैल–नवंबर 2020 तथा मई 2021–मार्च 2022	अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिक परिवार अंतर्गत आने वाले सभी एनएफएसए हितग्राही
आत्म निर्भर भारत योजना (एएनबीएस – केन्द्रीय योजना)	पाँच कि.ग्रा. चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा एक कि.ग्रा. चना प्रति परिवार प्रति माह निःशुल्क	मई जून–2020	फंसे हुए प्रवासियों जो एनएफएसए या राज्य पीडीएस योजना के तहत कवर नहीं किए गए थे।
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (एमकेएसवाई – राज्य योजना)	पाँच कि.ग्रा. अतिरिक्त चावल प्रति व्यक्ति एवं एक कि.ग्रा. चना प्रति परिवार प्रति माह निःशुल्क	अप्रैल–नवंबर 2020 और मई 2021–मार्च 2022	सीजीएफएसए के अंतर्गत कवर सभी राशन कार्ड धारक

2.1.3 छत्तीसगढ़ में पीडीएस का तंत्र

छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अन्य कार्यों के अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबंधन, समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का क्रय और एनएफएसए, 2013 और सीजीएफएसए, 2012 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। पीडीएस के अंतर्गत लक्षित हितग्राहियों को वितरण के लिए संचालनालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीजीएससीएससीएल) के माध्यम से खाद्यान्न के क्रय, उठाव और उचित मूल्य की दुकानों तक परिवहन किया जाता है। जिले में खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी हितग्राहियों को उनकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करते हैं। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण द्वारा हितग्राहियों को राज्य में 13,284 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न वितरित किया जाता है। छत्तीसगढ शासन ने लॉकडाउन अवधि के दौरान पीडीएस में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण को निलंबित (मार्च 2020) किया था और हितग्राही की फोटोग्राफ या वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) अपलोड कर खाद्यान्न वितरण हेतु निर्देशित किया था।

2.1.4 चावल का आवंटन, उठाव और वितरण

वर्ष 2019–20 और 2020–21 की अवधि के दौरान एनएफएसए और सीजीएफएसए के तहत पीडीएस के माध्यम से नियमित और अतिरिक्त चावल के आवंटन, उठाव और वितरण की कुल मात्रा का विवरण **तालिका 2.1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.3: चावल का आवंटन, उठाव एवं वितरण

(मात्रा क्विंटल में)

2019–20	एनएफएसए (नियमित एवं अतिरिक्त	सीजीएफएसए (नियमित एवं अतिरिक्त)	कुल मात्रा
आवंटन	13988539	8266284	22254823
उठाव	13847531	8085609	21933140
वितरण	13846516	8127101	21973617
2020–21			
आवंटन	19923658	7729477	27653135
उठाव	19818942	7721795	27540737
वितरण	18581415	8819868	27401283
2021–22 (जून 2021 तक)			
आवंटन	4447693	2547417	6995110
उठाव	4451773	2537694	6989467
वितरण	4410620	2528679	6939299

(स्त्रोतः आंकड़े खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट https://khadya.cg.nic.in/ से संकलित किए गए हैं)

2.1.5 संगठनात्मक संरचना

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, प्रशासनिक प्रमुख हैं तथा राज्य में एनएफएसए और सीजीएफएसए के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चत करके पीडीएस को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं अपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ को राज्य में पीडीएस के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रदान की गई है जिन्हें 28 जिलों में 28 खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। पीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण का निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक जिले में खाद्य निरीक्षक हैं। सीजीएससीएससीएल, विभाग के अधीन एक कंपनी है जो वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानों को आवंटित खाद्यान्नों का क्रय, उठाव और परिवहन करती है।

2.1.6 लेखापरीक्षा उद्देश्य

कोविड–19 महामारी के दौरान, पीडीएस के तहत प्रदाय किए गए अतिरिक्त खाद्यान्न पर केन्द्रित करते हुए अनुपालन लेखापरीक्षा योजनाओं के अनुरूप अतिरिक्त खाद्यान्न के वितरण का आकलन करने के लिए किया गया।

2.1.7 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड निम्नलिखित स्त्रोतों से प्राप्त किए गए थेः

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, एवं छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 तथा उसके तहत जारी पीडीएस (नियंत्रण) आदेश।
- कोविड–19 अवधि के लिए पीडीएस के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार और छत्तीसगढ शासन द्वारा जारी योजना दिशानिर्देश और आदेश/परिपत्र/अधिसूचनाएं।

2.1.8 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं पद्धति

अनुपालन लेखापरीक्षा में शीर्ष स्तर की ईकाइयों जैसे संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं नोडल एजेंसी सीजीएससीएससीएल तथा 20 चयनित जिलों के खाद्य नियंत्रकों/खाद्य अधिकारियों और जिला प्रबंधक, सीजीएससीएससीएल को सम्मिलित किया गया। प्रत्येक चयनित जिले में छः उचित मूल्य की दुकानों (तीन शहरी और तीन ग्रामीण) तथा प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों के अंतर्गत 10 हितग्राहियों का सर्वेक्षण किया गया था, इस प्रकार 120 एफपीएस और 1,177 हितग्राहियों का सर्वेक्षण किया गया। लेखापरीक्षा की अवधि अप्रैल 2020 से जून 2021 तक थी।

लेखा परीक्षा पद्धति में अभिलेखों और दस्तावेजों की नमूना जाँच, प्रारूपों में सूचना और आंकड़ों का संग्रह, प्रबंधन के साथ चर्चा और लेखापरीक्षा प्रश्नों/टिप्पणियों को जारी करना शामिल था। लेखापरीक्षा में 120 चयनित उचित मूल्य दुकानों का विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण भी किया गया।

2.1.9 लेखापरीक्षा नमूना चयन

राज्य के 28 जिलों मे से 14 जिलों का चयन परिमाण सापेक्ष संभाव्यता बिना प्रतिस्थापन विधि के आधार पर किया गया था। इसके अतिरिक्त छः जिलों का भी चयन किया गया। तदनुसार, खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी की कुल 20 ईकाइयों को अनुपालन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.1.1** में वर्णित है।

प्रत्येक चयनित जिले में, छः उचित मूल्य की दुकानों का चयन सरल यादृच्छिक नमूनाकरण बिना प्रतिस्थापन विधि के आधार पर किया गया।

प्रत्येक चयनित उचित मूल्य की दुकानों के अधीन 10 हितग्राहियों का सर्वे उचित मूल्य की दुकानों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान हितग्राहियों की उपलब्धता के आधार पर किया गया।

2.1.10 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.10.1 महामारी के दौरान चावल का आबंटन, उठाव और वितरण

भारत सरकार और छत्तीसगढ शासन ने उचित मूल्य दुकान के माध्यम से हितग्राहियों को वितरण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभाग को अतिरिक्त चावल आवंटित किया था। महामारी के दौरान अप्रैल से नवंबर 2020 और मई से जून 2021 की दस महीनों की अवधि के लिए एनएफएसए और सीजीएफएसए के अंतर्गत पीडीएस के माध्यम से नियमित और अतिरिक्त चावल के तिमाही आवंटन, उठाव और वितरण का विवरण **तालिका 2.1.4** में दर्शित है।

तालिका 2.1.4: चावल का आवंटन, उठाव एवं वितरण

(मात्रा क्विंटल में)

योजना		2020–21			2021–22	कुल
		अप्रैल–जून 2020	जुलाई–सितंबर 2020	अक्टूबर–नवंबर 2020	मई–जून 2021	
आवंटन	एनएफएसए नियमित	4998335	3488604	2314465	2306823	13108227
	एनएफएसए अतिरिक्त	0	2506404	2003530	987464	5497398
	सीजीएफएसए नियमित	2413465	1251300	493109	1624040	5781914
	सीजीएफएसए अतिरिक्त	0	215070	175028	117876	507974
	कुल	**7411800**	**7461378**	**4986132**	**5036203**	**24895513**
उठाव	एनएफएसए नियमित	4999250	3426109	2300130	2316370	13041859
	एनएफएसए अतिरिक्त	0	2506078	1992223	987455	5485756
	सीजीएफएसए नियमित	2480305	1226944	483638	1624501	5815388
	सीजीएफएसए अतिरिक्त	0	214992	172632	117934	505558
	कुल	**7479555**	**7374123**	**4948623**	**5046260**	**24848561**
वितरण	एनएफएसए नियमित	3791235	3456104	2296790	2297052	11841181
	एनएफएसए अतिरिक्त	0	2471113	1987859	969363	5428335
	सीजीएफएसए नियमित	3566747	1232719	487778	1614399	6901643
	सीजीएफएसए अतिरिक्त	0	206547	172486	114261	493294
	कुल	**7357982**	**7366483**	**4944913**	**4995075**	**24664453**

(स्त्रोतः आंकड़े खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ की शासकीय वेबसाइट https://khadya.cg.nic.in/ से संकलित किया गया)

तालिका से देखा जा सकता है कि प्रथम तिमाही अर्थात अप्रैल–जून 2020 में अतिरिक्त चावल का आवंटन, उठाव एवं वितरण शून्य दर्शाया गया क्योंकि विभाग द्वारा इस अवधि में अतिरिक्त चावल का लेखा अलग से संधारित नहीं किया गया और योजना के नियमित घटक में शामिल किया गया था।

2.1.10.2 कोविड–19 महामारी के दौरान लाभार्थियों को अतिरिक्त मात्रा में खाद्यान्न का लाभ नहीं मिलना

भारत सरकार ने कोविड–19 महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीब और जरूरतमंद लोगों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए आर्थिक उपायों के एक भाग के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू किया (मार्च 2020)। योजना के अंतर्गत एनएफएसए के तहत शामिल सभी हितग्राहियों को वितरण के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह अतिरिक्त पाँच कि.ग्रा. निःशुल्क चावल प्रदान किया जाना था। एनएफएसए के तहत दो श्रेणियां सम्मिलित हैं– अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार (पीएचएच)। अतिरिक्त पाँच कि.ग्रा. निःशुल्क चावल एनएफएसए के तहत नियमित स्वीकार्यता से बढ़कर था। योजना को प्रारंभ में अप्रैल से नवंबर 2020 तक आठ महीने की अवधि के लिए लागू किया गया था। भारत सरकार ने इस योजना को मई–नवंबर 2021 की अवधि के लिए पुनः लागू किया (अप्रैल 2021) जिसे आगे मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था।

राज्य सरकार, पीएमजीकेएवाई के प्रारंभ करने के पूर्व (जुलाई 2019 से) प्रत्येक राशन कार्ड में व्यक्तियों की संख्या के आधार पर इन प्राथमिकता परिवारों को रियायती मूल्य

पर हर माह चावल की अतिरिक्त मात्रा प्रदान कर रही थी। तदनुसार, केवल एक व्यक्ति वाले पीएचएच कार्ड धारक को कुल 10 कि.ग्रा., दो व्यक्ति वाले को 20 कि.ग्रा., तीन से पाँच व्यक्ति वाले को 35 कि.ग्रा. तथा पाँच से अधिक व्यक्ति वाले को सात कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति माह एक रुपये प्रति कि.ग्रा. की रियायती दर पर प्रदान किया जा रहा था। इन मात्राओं में एनएफएसए के तहत भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से प्रदाय प्रति व्यक्ति पाँच कि.ग्रा. चावल शामिल है।

पीएमजीकेएवाई के प्रारंभ के बाद, राज्य सरकार ने राज्य के पीएचएच लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले चावल की कुल मात्रा को संशोधित करते हुए अतिरिक्त निःशुल्क चावल की मात्रा के संदर्भ में आदेश जारी (अप्रैल 2020) किया, जैसा कि **तालिका 2.1.5** में दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में लाभार्थियों को प्रदान किए गए चावल की अतिरिक्त मात्रा वापस लेने के कारण एनएफएसए और सीजीएफएसए लाभार्थी मौजूदा पात्रता के अतिरिक्त पाँच कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति की दर से चावल की अतिरिक्त मात्रा से लाभान्वित नहीं हुए, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में बताया गया है:

- **एनएफएसए लाभार्थियों को पीएमजीकेएवाई के तहत अतिरिक्त निःशुल्क चावल का वितरण**

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2021) कि राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त आदेश जारी करने के बाद एनएफएसए–पीएचएच लाभार्थियों को पीएमजीकेएवाई के क्रियान्वयन से पहले उपलब्ध नियमित चावल की मात्रा की तुलना में कोई अतिरिक्त चावल उपलब्ध नहीं कराया गया, जैसा कि **तालिका 2.1.5** में दर्शित है:

तालिका 2.1.5: चावल की नियमित और अतिरिक्त पात्रता का प्रावधान

(मात्रा कि.ग्रा. में)

प्रत्येक राशन कार्ड में व्यक्तियों की संख्या (पीएचएच)	पीएमजीकेएवाई से पहले नियमित पात्रता (राज्य सरकार– राजपत्र अधिसूचना दिनांक 12/जुलाई/2019 द्वारा)	भारत सरकार के आदेश दिनांक (मार्च 2020) के अनुसार पीएमजीकेएवाई के अनुसार अतिरिक्त मात्रा	पीएमजीकेएवाई के क्रियान्वयन के बाद कुल मात्रा	राज्य सरकार के आदेशानुसार कुल पात्रता (अप्रैल 2020)	लाभार्थियों को अतिरिक्त लाभ (कॉलम 2 के संबंध में)
1	*2*	*3*	*4 (कॉलम 2+ कॉलम 3)*	*5*	*6 (कॉलम 5– कॉलम 2)*
01	10	5	15	10	निरंक
02	20	10	30	20	निरंक
03	35	15	50	35	निरंक
04	35	20	55	40	5
05	35	25	60	50	15
06	42	30	72	60	18
07	49	35	84	70	21

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि एनएफएसए–पीएचएच राशन कार्ड धारकों के एक से तीन सदस्यों को अतिरिक्त चावल का लाभ नहीं मिला और तीन से अधिक सदस्यों वाले पीएचएच कार्ड धारकों को पीएमजीकेएवाई के तहत प्रति व्यक्ति पाँच कि.ग्रा. के बजाय प्रति व्यक्ति तीन कि.ग्रा. की दर से चावल की अतिरिक्त मात्रा का लाभ मिला। राज्य में कुल 31.05 लाख एनएफएसए–पीएचएच हितग्राहियों (एक से तीन सदस्य) को उतनी ही मात्रा में चावल प्रदान किया गया था जितना कि उन्हें पीएमजीकेएवाई के क्रियान्वयन से पहले प्राप्त हो रहा था। इसी तरह, 136.27 लाख हितग्राहियों (तीन से अधिक सदस्यों वाले पीएचएच कार्ड) को तीन कि.ग्रा. प्रति माह

अतिरिक्त मात्रा प्रदान की गई। इस प्रकार, राज्य में 167.32 लाख एनएफएसए–पीएचएच लाभार्थी योजना के तहत निर्दिष्ट अतिरिक्त सहायता से लाभान्वित नहीं हुए।

इस प्रकार, अतिरिक्त निःशुल्क चावल की सहायता प्रदान करके कोविड–19 के कारण हुए आर्थिक व्यवधान के कारण गरीबों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के पीएमजीकेएवाई के कार्यान्वयन का उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जनवरी 2022) छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव ने बताया (मई 2022) कि एनएफएसए, 2013 की धारा 3(1) के अनुसार पीएचएच कार्ड धारकों की मासिक पात्रता प्रति व्यक्ति पाँच कि.ग्रा. खाद्यान्न है। भारत सरकार ने एनएफएसए के तहत मासिक पात्रता के साथ पीएमजीकेएवाई के तहत पीएचएच कार्ड धारकों को प्रति माह प्रति व्यक्ति पाँच कि.ग्रा. अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किया। उस आधार पर सदस्यों की संख्या के आधार पर पीएचएच राशन कार्ड धारकों के लिए खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई और उन्हें नियमित और अतिरिक्त चावल की पात्र मात्रा के संयुक्त मासिक योग के बराबर या अधिक चावल वितरित किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य के एनएफएसए–पीएचएच हितग्राहियों को महामारी अवधि के दौरान महामारी के पहले जुलाई 2019 की अवधि से प्रदायित एवं वितरित चावल के अनुरूप समान मात्रा की चावल (नियमित के साथ अतिरिक्त) दिया गया एवं महामारी के दौरान उन्हें अतिरिक्त चावल का प्रभावी रूप से लाभ नहीं हुआ।

➢ *पीएमजीकेएवाई के तहत चना का वितरण*

भारत सरकार ने अप्रैल–नवंबर 2020[2] की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत एनएफएसए परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह एक कि.ग्रा. चना उपलब्ध किया (अप्रैल 2020)। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीजीएफएसए[3] परिवारों को एक कि.ग्रा. चना उपलब्ध कराने के आदेश जारी (अप्रैल 2020) किए थे और संशोधित क्षेत्र विकास प्राधिकरण (माडा[4]) क्षेत्र और अनुसूचित अधिसूचित क्षेत्र में प्रति परिवार प्रति माह अधिकतम दो कि.ग्रा. चना वितरण का भी आदेश दिया था जो कि भारत सरकार की योजना के अनुसार एक कि.ग्रा. निःशुल्क एवं एक कि.ग्रा. ₹ पाँच प्रति कि.ग्रा. की दर के शर्त के अधीन वितरण करना था। जबकि इन क्षेत्रों के अंत्योदय अन्न योजना एवं पीएचएच कार्ड धारकों को राज्य चना वितरण योजना के तहत ₹ पाँच प्रति कि.ग्रा. की दर से दो कि.ग्रा. चना प्रतिमाह पहले ही मिल रहा था। इन क्षेत्रों में 25.34 लाख परिवारों को महामारी के दौरान उतनी ही मात्रा में चना वितरित किया गया जितना कि उन्हें महामारी से पहले के समय में मिल रहा था।

राज्य में औसतन 51.45 लाख एनएफएसए परिवार थे जो अप्रैल–नवंबर 2020 की अवधि के लिए एक कि.ग्रा. चना प्राप्त करने के हकदार थे। सात माह की अवधि में एनएफएसए के अंतर्गत कार्डों/परिवारों की संख्या, चना की आवंटन, उठाव एवं वितरण का माहवार विवरण **तालिका 2.1.6** में दर्शित है।

---

[2] जून के महीने को छोड़कर जहां अरहर की दाल उपलब्ध कराई गई थी।

[3] गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) श्रेणी को छोड़कर।

[4] माडा क्षेत्र, 10,000 या उससे अधिक की कुल आबादी के भीतर 50 प्रतिशत या उससे अधिक जनजातियों की सघनता वाले सटे हुए क्षेत्रों में पहचान किये गये पॉकेट (एक या एक से अधिक राजस्व गांवों से मिलकर बने) है।

तालिका 2.1.6: 51.45 लाख एनएफएसए परिवारों/कार्ड धारकों को चने का वितरण नहीं किए जाने को दर्शाने वाला विवरण

माह का नाम	चना–भारत सरकार				वितरित नहीं किए गए (क्विंटल में)
	एनएफएसए परिवार/कार्ड	आवंटन	उठाव	वितरण	
अप्रैल 2020	5150023	51500.36	51647.87	50930.97	569.39
मई 2020	5150023	51500.22	51339.48	50589.57	910.65
जुलाई 2020	5149500	51495.24	51259.16	45231.48	6263.76
अगस्त 2020	5149254	51493.26	51481.27	45722.45	5770.81
सितम्बर 2020	5148321	51483.98	51395.96	48957.63	2526.35
अक्टूबर 2020	5147587	51475.89	50714.07	50497.67	978.22
नवंबर 2020	5120520	51205.60	50878.07	50421.65	783.95
कुल		**360154.55**	**358715.88**	**342351.42**	**17803.13**

विभाग द्वारा 3.60 लाख क्विंटल चना आवंटित किया गया, जिसके विरुद्ध 3.59 लाख क्विंटल चना का उठाव किया गया और केवल 3.42 लाख क्विंटल ही हितग्राहियों को वितरित किया गया। परिणामस्वरूप 2.54 लाख परिवारों को 17,803.13 क्विंटल चना का वितरण नहीं किया गया।

इंगित किये जाने पर (जनवरी 2022) राज्य सरकार ने आपत्ति के संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

2.1.10.3 आत्मनिर्भर भारत योजना का क्रियान्वयन

कोविड–19 के दौरान कठिनाइयों को कम करने और खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह पाँच कि.ग्रा. निःशुल्क चावल और प्रवासियों/फंसे हुए प्रवासियों के प्रत्येक परिवार जो एनएफएसए या राज्य योजना पीडीएस राशन कार्ड के तहत शामिल नहीं थे, को प्रति माह एक कि.ग्रा. निःशुल्क चना प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना (एएनबीएस) प्रारंभ किया (मई 2020)। योजना के तहत भारत सरकार ने इन लक्षित हितग्राहियों को वितरण के लिए राज्य को दो महीने अर्थात् मई 2020 और जून 2020 के लिए चावल और चना आवंटित किया था। राज्य सरकार हितग्राहियों की पहचान करने और ऐसे हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरित करने के लिए जिम्मेदार थी। भारत सरकार ने भविष्य में और विस्तार पर विराम लगाते हुए उठाए नहीं गए चावल के उठाव की वैधता अवधि (15 जून 2020 तक) को 25 जून 2020 तक के लिए बढ़ा दी थी। भारत सरकार ने पूर्व में उठाए गए खाद्यान्न (25 जून 2020 तक) के वितरण के समय (30 जून 2020) को भी 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाया। योजना के तहत चावल और चना का आवंटन, उठान और वितरण **तालिका 2.1.7** में दर्शित है :

तालिका 2.1.7: एएनबीएस के तहत चावल और चना का आवंटन, उठाव और वितरण

(मात्रा मीट्रिक टन में)

सामग्री	भारत सरकार द्वारा आवंटन	उठाव	वितरण	चिन्हित हितग्राही	लाभान्वित
चावल	20076	2108	1964.41	222605 व्यक्ति	196441 व्यक्ति
चना	1056	1056	173.29	109179 परिवार	86645 परिवार

(स्त्रोतः भारत सरकार का आदेश दिनांक 15 मई 2020 एवं छत्तीसगढ़ शासन का पत्र दिनांक 11 सितंबर 2020)

लेखापरीक्षा ने योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं और कमियों का अवलोकन किया जिसका विवरण निम्नानुसार है :

i. एकाधिक आईडी के सृजन के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों का अधिक वितरणः राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत (सितंबर 2020) एएनबीएस के तहत खाद्यान्न वितरण की जानकारी के अनुसार, राज्य में 2,22,605 सदस्यों वाले 1,09,179 प्रवासी परिवारों को एएनबीएस योजना के तहत पंजीकृत किया गया था। योजनान्तर्गत दो माह के लिए 1,96,441 सदस्यों को कुल 1,964.41 मीट्रिक टन चावल एवं 86,645 परिवारों को 173.29 मीट्रिक टन चना वितरित किया गया।

लेखापरीक्षा ने वितरण सूची से देखा कि 1,92,387 व्यक्तियों को चावल तथा 88,784 परिवारों को चना वितरित किया गया था। संचालनालय द्वारा प्रदान की गई सूची की जाँच से ज्ञात हुआ कि सूची में दर्शाए गए विभिन्न व्यक्तियों के विवरण जैसे आधार संख्या, लिंग और आयु समान थे। लेखापरीक्षा विश्लेषण से आगे प्रकट हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति/परिवार के लिए एकाधिक आईडी के सृजन के कारण 2,644 व्यक्तियों को कई बार सूचीबद्ध किया गया और 283.01 क्विंटल[5] चावल के अधिक वितरण से लाभान्वित किया गया। इसी तरह एक ही परिवार के कई आईडी बनने के कारण 1,641 परिवारों को एक से अधिक बार सूचीबद्ध कर निर्धारित मात्रा के विरुद्ध 35.98 क्विंटल[6] अधिक मात्रा में चने का वितरण किया गया। हालांकि, कई बार सूचीबद्ध किये लाभार्थियों को पात्र मात्रा से अधिक वितरीत के रूप में दिखाए गए खाद्यान्न के व्यपवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

इंगित किये जाने (जनवरी 2022) पर राज्य सरकार ने आपत्ति के संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

ii. हितग्राहियों को वितरण न करना : राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में एएनबीएस के तहत लाभान्वित किए जाने वाले प्रवासियों के 1,09,179 परिवारों के 2,22,605 सदस्यों की पहचान की थी। जिनमें से क्रमशः 1,92,387 व्यक्तियों एवं 88,784 परिवारों को चावल एवं चना का वितरण किया गया तथा 30,218 व्यक्तियों (14 प्रतिशत) एवं 20,395 परिवारों (19 प्रतिशत) को लाभान्वित नहीं किया जा सका। राज्य सरकार ने बताया (मई 2022) कि ये व्यक्ति/परिवार उचित मूल्य दुकान में चावल और चना प्राप्त करने नहीं आए।

---

5 अतिरिक्त चावल (283.01 क्विंटल) = वास्तविक वितरित (547.41 क्विंटल) – स्वीकार्य मात्रा (264.40 क्विंटल)

6 अतिरिक्त चना (35.98 क्विंटल) = वास्तविक वितरित (68.80 क्विंटल) – स्वीकार्य मात्रा (32.82 क्विंटल)

iii. पृथक भंडार पंजियां संधारण नहीं किया जाना : उपरोक्त मुद्दों के अलावा, 19 जिलों के 86 उचित मूल्य दुकानों में से 73 उचित मूल्य दुकानों ने योजना के लिए अलग से वितरण पंजी संधारित नहीं किए थे।

राज्य सरकार ने आपत्ति के संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

2.1.10.4 उचित मूल्य दुकानों के संयुक्त निरीक्षण में पाई गई अनियमितताएं

लेखापरीक्षा दलों ने विभागीय अमले के साथ 120 उचित मूल्य दुकानों का संयुक्त निरीक्षण किया और 1,177 बीपीएल हितग्राहियों के साथ खाद्यान्न की उपलब्धता और महामारी अवधि के दौरान शुरू की गई और लागू की गई योजनाओं के बारे में बातचीत की। संयुक्त निरीक्षण में पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

i. नमूना जाँच में 1,177 राशन कार्डों में 4,665 सदस्यों को 5,302 क्विंटल चावल और 129 क्विंटल चना के आवंटित मात्रा के विरुद्ध 5,127 क्विंटल चावल और 105 क्विंटल चना वितरित किया गया जिसके परिणामस्वरूप 175 क्विंटल चावल और 24 क्विंटल चना का वितरण नहीं हुआ।

ii. 106 (88 प्रतिशत) उचित मूल्य दुकानों में पीएमजीकेएवाई में निर्धारित अलग भंडार पंजी और वितरण पंजी संधारित नहीं था। उचित मूल्य दुकानों ने खराब इंटरनेट कवरेज के कारण राशन का वितरण ऑफलाइन/मैनुअल तरीके से किया और बाद में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया।

iii. 96 (80 प्रतिशत) उचित मूल्य दुकानों का विभाग के द्वारा मासिक निरीक्षण नहीं किया गया था और अप्रैल 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए निरीक्षण पंजी संधारित नहीं किए गए थे।

इंगित किये जाने पर (मई 2022) राज्य सरकार ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

iv. सीजीएफएसए की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्य दुकान के कामकाज पर समय–समय पर सामाजिक अंकेक्षण करेगा। लेखापरीक्षा ने 120 चयनित उचित मूल्य दुकानों के संयुक्त निरीक्षण में पाया कि अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए 117 (98 प्रतिशत) उचित मूल्य दुकानों में सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था।

इंगित किये जाने पर (जनवरी 2022) राज्य सरकार ने बताया (मई 2022) कि वर्ष 2019–20 और 2020–21 में उचित मूल्य दुकान का कोई सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था।

2.1.11 निष्कर्ष

कोविड–19 महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीब और जरूरतमंद लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत सरकार ने एनएफएसए (अंत्योदय परिवारों और प्राथमिकता परिवारों) को हितग्राहियों को नियमित मात्रा के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति पाँच कि.ग्रा. निःशुल्क चावल के वितरण का प्रावधान किया था। राज्य सरकार पीएमजीकेएवाई के आने से पहले छत्तीसगढ़ में एनएफएसए/सीजीएफएसए हितग्राहियों को अतिरिक्त पाँच कि.ग्रा. चावल प्रदान कर रही थी। हालांकि, पीएमजीकेएवाई के आने के बाद, हितग्राहियों को स्वीकार्य निःशुल्क चावल की अधिकतम मात्रा भारत सरकार की योजना के अनुसार सीमित थी, जिसके कारण राज्य में एनएफएसए–पीएचएच हितग्राहियों को

वास्तव में महामारी की अवधि के दौरान पूर्व में प्राप्त होती रही नियमित मात्रा से अधिक चावल की अतिरिक्त मात्रा, जैसा कि योजना में लक्षित था, का लाभ नहीं हुआ।

एक ही हितग्राही के लिए एकाधिक आईडी के सृजन के परिणामस्वरूप 318.99 क्विंटल खाद्यान्न (283.01 क्विंटल चावल और 35.98 क्विंटल चना) प्रवासी हितग्राहियों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत निर्धारित मात्रा से अधिक वितरित किया गया। राज्य सरकार एएनबीएस के तहत पंजीकृत 30,218 सदस्यों और 20,395 परिवारों जो योजना के तहत पंजीकृत थे लेकिन उचित मूल्य दुकान तक नहीं पहुंचे, उनको चावल और चना वितरित करने में विफल रही।

नमूना जाँच की गई उचित मूल्य दुकानों में 88 प्रतिशत और 85 प्रतिशत में पीएमजीकेएवाई एवं एएनबीएस के लिए अलग–अलग भंडार और वितरण पंजी संधारित नहीं किए गए थे। विभाग द्वारा 80 प्रतिशत उचित मूल्य दुकानों में मासिक निरीक्षण नहीं किया गया एवं निरीक्षण पंजी का संधारण नहीं किया गया था। 98 प्रतिशत उचित मूल्य दुकानों में सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था।

2.1.12 अनुशंसाएं

1. *महामारी/आपदा के मद्देनजर विशेष रूप से शुरू की गई किसी भी योजना के तहत प्रदान किया गया कोई भी अतिरिक्त खाद्यान्न लक्षित हितग्राहियों को नियमित मिलने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त प्रदान किया जाना चाहिए।*
2. *उचित मूल्य दुकानों का सामयिक निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए और अनियमितताओं को रोकने और उनकी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विभाग द्वारा यथानिर्धारित निरीक्षण अभिलेख संधारित किए जाने चाहिए।*

समाज कल्याण विभाग

2.2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन

2.2.1 परिचय

भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व, गरीबों और निराश्रितों को विशेष रूप से लक्षित करते हुए राज्य को अपने सामर्थ्य के भीतर कल्याणकारी उपाय करने हेतु निदेशित करते हैं। साथ ही, भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपने नागरिकों को वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी और अक्षमता के मामले में जन सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में सातवीं अनुसूची के मद 23 के रूप में सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था पेंशन शामिल हैं। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, भारत सरकार ने 15 अगस्त, 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का एक घटक था। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (इं.गां.रा.वृ.पें.यो.) कर दिया गया और औपचारिक रूप से 19 नवंबर, 2007 को प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की उप योजना के रूप में इं.गां.रा.वृ.पें.यो. को समाज कल्याण विभाग द्वारा स्थानीय निकायों की मदद से क्रियान्वित किया जाता है। योजना के अनुसार, पात्रता मानदंडों[7] को पूरा करने वाले 60 से 79 वर्ष की आयु के हितग्राही को प्रति माह ₹ 350 (केंद्र सरकार द्वारा ₹ 200 और राज्य शासन द्वारा ₹ 150) की पेंशन राशि मिलती है और 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹ 650 (केंद्र सरकार द्वारा ₹ 500 और राज्य शासन द्वारा ₹ 150) प्रति माह कर दिया जाता है।

प्रत्येक हितग्राही को देय पेंशन की राशि सीधे उसके खाते में जमा करने और कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की मदद से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम– पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनएसएपी–पीपीएस) बनाया गया था। यह एक वेब आधारित एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर है जो चिन्हांकन से लेकर पेंशन के अंत तक सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का संचालन करता है और ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए योजना के कार्यान्वयन की सूक्ष्म निगरानी करना सुगम करता है। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य में नए हितग्राहियों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया मैनुअल तरीके से की जा रही है। अस्वीकृति/चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद केवल पात्र हितग्राहियों का विवरण एनएसएपी–पीपीएस में दर्ज किया जा रहा है।

[7] इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के लिए पात्रता मानदंडः
- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का वृद्ध व्यक्ति
- आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी है
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की सूची से संबंधित है (बीपीएल मानदंड को तय करने के लिए बीपीएल सूची 2002 उपयोग किया जाता है)।

इसके अलावा, पारदर्शिता लाने एवं हितग्राहियों को पेंशन का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली[8] (पीएफएमएस) का उपयोग करते हुए ऑनलाइन एनएसएपी–पीपीएस के माध्यम से 2013 में पेंशन भुगतान हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का प्रयोग शुरू किया गया।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का उद्देश्य सटीकतापूर्वक लक्षित हितग्राहियों के विशेषतः आधार से संबद्ध बैंक/डाक खातों में लाभ का अंतरण किया जाना है। डीबीटी के मूल उद्देश्य लाभ के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण को सुनिश्चित करना, लाभ प्रवाह में शामिल मध्यवर्ती स्तर को कम करना, भुगतान में विलंब को कम करना, हितग्राही का सटीक लक्ष्यीकरण और चोरी और दोहराव को रोकना था। राज्य सरकार ने अगस्त 2018 में एनएसएपी–पीपीएस का उपयोग करते हुए पीएफएमएस के माध्यम से इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के लिए डीबीटी का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

केंद्रीय स्तर पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के कार्यान्वयन पर समग्र नियंत्रण रखता है। राज्य में इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग की है जो कि नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालयों को सौंपा गया है। विकास खंड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं पेंशन प्रकरणों की स्वीकृति/अस्वीकृति का उत्तरदायित्व जनपद पंचायतों (मध्यवर्ती पंचायत) पर है। ग्राम पंचायतों को हितग्राहियों के चयन, पर्यवेक्षण और निगरानी में भूमिकाएँ दी गई हैं।

2.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक की अवधि को शामिल करते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि:

- क्या मध्यवर्ती स्तरों को कम करने और लक्षित हितग्राहियों को भुगतान में देरी और हितग्राहियों के दोहराव को रोकने के लिए डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रिया पुनर्रचना की गई थी
- क्या इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के अंतर्गत डीबीटी की आधारभूत संरचना, संगठन और प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था

2.2.4 लेखापरीक्षा के मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का परीक्षण निम्नांकित मानदंडों के आधार पर किया गया:

- पेंशन योजना के दिशानिर्देश और परिपत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश,
- प्रबंधन सूचना सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल मैनुअल, डीबीटी मैनुअल, मानक संचालन प्रक्रियाएं और डीबीटी पर हैंडबुक, और
- हितग्राहियों और भुगतानों की पहचान और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पर योजना के दिशानिर्देश।

[8] सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित और कार्यान्वित एक वेब–आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो क्रियान्वयन एजेंसियों और लाभार्थियों को पंजीकृत करने के लिए एक केन्द्रीय पोर्टल के रूप मे कार्य करता है जो कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे उसके बैंक खाते में धन/राशि के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में सुविधा प्रदान करता है।

2.2.5 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं पद्धति

लेखापरीक्षा द्वारा संचालनालय, समाज कल्याण एवं नौ जिलों[9] के संयुक्त संचालक/उप संचालक, समाज कल्याण विभाग के कार्यालयों की वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि के अभिलेखों की जाँच की गयी। प्रत्येक जिले में दो विकासखण्ड (कुल 18 विकासखण्ड[10]) चुने गए थे। विकासखण्ड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के कार्यालय और प्रत्येक ब्लॉक में दो ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया गया। लेखापरीक्षा ईकाइयों का नमूना चयन परिमाण सापेक्ष संभाव्यता बिना प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके किया गया था। इन कार्यालयों में अभिलेखों की जाँच के अलावा एनएसएपी–पीपीएस के आंकड़ों की भी जाँच की गई।

2.2.6 सम्मिलित हितग्राही एवं वित्तीय परिव्यय

वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या और इन तीन वर्षों के दौरान इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के अंतर्गत किए गए व्यय का विवरण **तालिका 2.2.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.2.1: वित्तीय परिव्यय और हितग्राही

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हितग्राहियों की संख्या	व्यय (केंद्रीय अंश)	कुल व्यय (केंद्र और राज्य)
2018–19	661623	169.26	288.35
2019–20	666576	184.55	303.99
2020–21	662415	248.05	367.27
2021–22 (नवंबर 2021 तक)	652376	126.01	204.29

(स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार एवं राज्य व्यय ₹ 150 प्रति हितग्राही की दर पर संगणित)

2.2.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.7.1 डीबीटी के अंतर्गत सम्मिलित हितग्राही एवं निधि अंतरण में विद्यमान मध्यवर्ती स्तर

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के क्रियान्वयन के मुख्य उद्देश्यों में से एक निधि अंतरण में शामिल मध्यवर्ती स्तरों को कम करना था। छत्तीसगढ़ में अगस्त 2018 से इं.गां.रा.वृ.पें.यो. हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अपनाया गया है। डीबीटी भुगतान करने के लिए संचालनालय कार्यालय में एक राज्य स्तरीय नोडल खाता (एसएनए) संधारित किया गया था, जिसके माध्यम से पेंशन का भुगतान सीधे हितग्राहियों के खाते में किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के तहत 95 प्रतिशत पेंशन भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया। इन मामलों में, लाभ के अंतरण में तीन मध्यवर्ती स्तरों (जिला कार्यालयों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों) को समाप्त करते हुए पेंशन राशि को राज्य नोडल खाते से सीधे हितग्राहियों के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। डीबीटी के तहत सम्मिलित हितग्राहियों का जिलेवार विवरण **तालिका 2.2.2** में दर्शाया गया है:

---

9 जशपुर, कोरिया, रायगढ़, बिलासपुर, बलौदा बाजार, कोरबा, धमतरी, कोंडागांव, नारायणपुर

10 जशपुर (पत्थलगांव, जशपुर), कोरिया (बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़), रायगढ़ (सारंगढ़, बरमकेला), बिलासपुर (बिल्हा, मस्तूरी), बलौदा बाजार (बिलाईगढ़, सिमगा), कोरबा (पोड़ी उपरोडा, कटघोरा), धमतरी (नगरी, मगरलोड), कोंडागांव (कोंडागांव, बड़ेराजपुर), नारायणपुर (नारायणपुर, ओरछा (अबूझमाड़))

तालिका 2.2.2 : डीबीटी और गैर–डीबीटी भुगतान का जिलेवार विवरण

जिला	कुल भुगतान	कुल डीबीटी भुगतान (कुल भुगतान का प्रतिशत)	गैर–डीबीटी भुगतान (कुल भुगतान का प्रतिशत)
बलौदाबाजार	31601	31174 (99)	427 (1)
बिलासपुर	41976	40419 (96)	1557 (4)
धमतरी	13007	12144 (93)	863 (7)
जशपुर	23534	21197 (90)	2337 (10)
कोंडागांव	14078	13589 (97)	489 (3)
कोरबा	26169	25318 (97)	851 (3)
कोरिया	13236	12868 (97)	368 (3)
नारायणपुर	5171	2342 (45)	2829 (55)
रायगढ़	59871	58355 (97)	1516 (3)
कुल	**228643**	**217406 (95)**	**11237 (5)**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी माह नवंबर 2021 के डीबीटी और गैर–डीबीटी भुगतान विवरण की जानकारी से संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि नमूना जाँच किए गए नौ जिलों में से छः जिलों में डीबीटी भुगतान 95 प्रतिशत या उससे अधिक था, दो जिलों में यह 90 से 95 प्रतिशत के बीच था जबकि एक जिले (नारायणपुर) में यह केवल 45 प्रतिशत था। विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार नारायणपुर जिले में डीबीटी भुगतान के न्यून रहने का कारण पहुँच योग्य दूरी पर बैंकों की अनुपलब्धता थी। गैर–डीबीटी प्रकरणों में, हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया, जो कि राज्य स्तर से प्रारम्भ हुए और जिलों, विकासखण्डों और ग्राम पंचायतों के रास्ते अंतरित किए गए।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि पेंशन राशि को प्रारंभ में विभाग द्वारा जिला प्राधिकारियों को आवंटित किया गया था। जिला कार्यालयों ने हितग्राहियों की संख्या के आधार पर कोषालय से अपने बैंक खातों में धनराशि आहरित करते हुए डीबीटी भुगतान के लिए आवश्यक धनराशि को संचालनालय कार्यालय के राज्य नोडल खाते में और गैर डीबीटी भुगतानों को स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिया। सभी जिला कार्यालयों से धनराशि प्राप्त होने के बाद संचालनालय कार्यालय ने हितग्राहियों के खाते में धनराशियों का डीबीटी के माध्यम से अंतरण स्वीकृत किया। यहाँ, चूंकि संचालनालय स्तर पर एक नोडल खाते से अंतिम भुगतान किया जा रहा है, अतः जिलों के खातों में धन का आहरण और फिर इसे वापस नोडल खाते में स्थानांतरित करने से बचा जा सकता था।

इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि जिलों को धनराशि आवंटित करने और उसके बाद नोडल खाते में जमा करने की प्रक्रिया का पालन, जिला स्तर पर आंकड़ों के रियल टाइम पर अद्यतनीकरण, पेंशन की नयी स्वीकृतियाँ, मृत्यु अथवा अन्य कारण से विलोपन, गैर–डीबीटी आंकड़ों का पृथक्करण जैसे कारणों की वजह से किया जा रहा है। पुनः सीधे आवंटन के लिए संचालनालय कार्यालय को कोषालय से निधियों का आहरण करना पड़ेगा जिससे निगरानी कार्य में बाधा आएगी और जिला कार्यालय अपनी जिम्मेदारियों को राज्य स्तर पर स्थानांतरित करने का प्रयास करेंगे।

तथापि, जिला प्राधिकारियों द्वारा जिला स्तर के बैंक खातों में अंतरण से बचते हुए सीधे राज्य नोडल खाते में धनराशि जमा करने हेतु कोषालयों से निधियों का आहरण किया जा सकता है।

2.2.7.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में विलंब

राज्य शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान शासकीय सेवकों की तरह नियमित रूप से किया जाना चाहिये। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रत्येक माह की सात तारीख तक अविलम्ब भुगतान करने का निर्देश दिया है। डीबीटी प्रारम्भ किए जाने का मूल उद्देश्य विलंब को कम किया जाना भी था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पेंशन भुगतान करने के लिए प्रारंभ में धनराशि संबंधित जिले के समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालयों को आवंटित की गई थी। जिला कार्यालयों ने एनएसएपी–पीपीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्येक माह इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के हितग्राहियों के लिए पेंशन राशि की गणना की। पेंशन की यह गणना एनएसएपी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित ढंग से की गई। पेंशन गणना के बाद संबंधित जिला कार्यालयों द्वारा पेंशन गणना की फाइल संचालनालय कार्यालय को भुगतान हेतु पुश की गयी। इसके साथ ही, जिला कार्यालयों ने कोषालय से आवंटित धनराशियों का आहरण किया और डीबीटी भुगतानों हेतु आवश्यक राशि को संचालनालय कार्यालय द्वारा संधारित राज्य नोडल खाते में वापस स्थानांतरित कर दिया। विभिन्न जिलों से प्राप्त पेंशन गणना फाइलों को संचालनालय कार्यालय द्वारा स्वीकृत किया गया और पीएफएमएस के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के खातों में डीबीटी भुगतान किए गए।

लेखापरीक्षा के द्वारा जनवरी 2020 से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान किए गए मासिक भुगतानों की जाँच की गयी जिससे ज्ञात हुआ कि डीबीटी लागू होने के बाद भी अगले माह की सात तारीख तक पेंशन का वितरण नहीं किया जा रहा था। मासिक भुगतानों के 204 प्रकरणों में से 194 प्रकरणों में भुगतान में विलंब पाया गया। 161 प्रकरणों में एक दिन से एक माह तक का विलम्ब, 28 प्रकरणों में एक से दो माह के बीच का विलंब जबकि पाँच प्रकरणों में दो से तीन माह के बीच का विलंब पाया गया। विवरण, **परिशिष्ट 2.2.1** में प्रदर्शित है। इन अंतरणों में विलंब मुख्यतः जिलों के द्वारा राज्य नोडल खाते में निधियों का अंतरण विलंब से करने के कारण हुआ। उपरोक्त विलंबित प्रकरणों में से 97 प्रकरणों में जिलों ने देय तिथि (अगले माह की 7 तारीख) की समाप्ति के बाद राशियाँ हस्तांतरित की। 91 प्रकरणों में एक दिन से एक महीने के बीच, पाँच प्रकरणों में एक से दो महीने के बीच और एक मामले में दो से तीन महीने के बीच के विलंब से धनराशियाँ हस्तांतरित की गयी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नवंबर 2021 के दौरान नौ जिलों में 2,17,406 डीबीटी भुगतानों में से कुल 3,325 (1.5 प्रतिशत) भुगतान विफल रहे। इससे ज्ञात होता है कि इन हितग्राहियों से संबंधित डाटा अद्यतन नहीं थे। डीबीटी के कार्यान्वित होने के तीन साल बाद भी डीबीटी भुगतान में निरंतर विलंब, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के डीबीटी के उद्देश्य को विफल करता है।

इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि प्रत्येक माह की सात तारीख को पेंशन का वितरण करने का हमेशा प्रयास किया जाता है तथा अधिकांश महीनों में देय तिथि तक भुगतान कर दिया गया। कुछ माहों में, अत्यधिक लेन–देनों के कारण फाइलों के अवरुद्ध रहने जैसे तकनीकी कारणों एवं जिला कार्यालयों द्वारा एनएसएपी–पीपीएस में भुगतान फाइलों को देरी से आगे पुश किए जाने के कारण विलंब हुआ।

उत्तर अपने आप में पुष्टि करता है कि जिलों से भुगतान फाइलों को देरी से आगे पुश किए जाने के कारण विलंब हुआ। विलंब को नियंत्रित रखने के लिए जिलों के खातों में निधियों के अंतरण और इसे राज्य नोडल खाते में वापस किए जाने के चरण का परिहार किया जा सकता है।

2.2.7.3 डीबीटी के कार्यान्वयन के पश्चात् भी डुप्लीकेट हितग्राहियों का अस्तित्व में होना

राज्य शासन द्वारा जारी (अप्रैल 2014) पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देशों के पैरा 12.1 के अनुसार एक व्यक्ति, एक समय में राज्य में संचालित एक ही पेंशन योजना का लाभ ले सकता है चाहे वह केन्द्र या राज्य शासन की योजना हो। इसके अलावा, दिशा–निर्देशों के बिंदु क्रमांक 7 में कहा गया है कि संबंधित आवेदक को पेंशन स्वीकृत होने के तुरंत बाद अपना स्वयं का बचत खाता या डाकघर खाता खोलना होगा जिसमें पेंशन का भुगतान किया जाएगा। डीबीटी का मूल उद्देश्य चोरी एवं दोहराव पर अंकुश लगाना था।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के तहत पेंशन पाने वाला हितग्राही राज्य की अन्य पेंशन योजनाओं के अंतर्गत भी लाभान्वित हो रहा था। जिलों में नमूना जाँच के दौरान 848 प्रकरण पाए गए जिनमें एक आधार संख्या के विरुद्ध दो पेंशन स्वीकृत की गयी थी। आगे, समीक्षा में यह भी प्रकट हुआ कि 848 में से 54 प्रकरणों में बैंक खाता क्रमांक भी समान थे। यह देखा गया कि एक ही योजना (इं.गां.रा.वृ.पें.यो.) अथवा दो अलग–अलग योजनाओं (एक योजना इं.गां.रा.वृ.पें.यो.) के तहत एक ही लाभार्थी को आवेदक के नाम और पति/पिता के नाम और पते आदि जैसे व्यक्तिगत विवरणों में मामूली संशोधन के साथ दो आवेदन संख्या के आधार पर दो पेंशन स्वीकृत किया गया था। हितग्राहियों का जिलेवार विवरण और एक माह में एक ही आधार संख्या के विरुद्ध कई भुगतान **तालिका 2.2.3** में दर्शाये गए हैं:

तालिका 2.2.3: समान आधार संख्या वाले हितग्राहियों का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	जिला	कुल डीबीटी इं.गां.रा.वृ.पें.यो. हितग्राही	एक ही आधार संख्या पर दो पेंशन लाभ पाने वाले हितग्राहियों की संख्या	कुल संख्या के प्रति डुप्लीकेट का प्रतिशत	परिहार्य पेंशन भुगतान (₹ लाख में)
1	बलौदा बाजार	34581	18	0.05	0.56
2	बिलासपुर	46597	0	0.00	0.00
3	धमतरी	18245	52	0.29	1.68
4	जशपुर	24443	226	0.92	4.74
5	कोंडागांव	14454	4	0.03	0.09
6	कोरबा	28089	174	0.62	6.15
7	कोरिया	13217	60	0.45	2.59
8	नारायणपुर	4087	16	0.39	0.66
9	रायगढ़	61574	298	0.48	9.60
कुल		**245287**	**848**	**0.35**	**26.07**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी (एनएसएपी–पीपीएस–जुलाई 2021) और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि जिलों में आधार दोहराव के मामलों का प्रतिशत शून्य और 0.92 प्रतिशत के बीच रहा। यह इन जिलों में कुल हितग्राहियों (2,45,287) का 0.35 प्रतिशत था। साथ ही यह एनएसएपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पर्याप्त नियंत्रण के अभाव को भी दर्शाता है क्योंकि प्रणाली दोहरावों को रोकने में विफल रही। इसके अलावा, यह दोहराव एनएसएपी–पीपीएस द्वारा एमआईएस

रिपोर्ट के रूप में भी परिलक्षित हुये परंतु विभाग इन दोहरावों को दूर करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.07 लाख की राशि का परिहार्य पेंशन भुगतान हुआ।

इंगित किए जाने पर शासन ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (मई 2022) कि डेटाबेस को उन्नत कर दिया गया है और अब आंकड़ों की प्रविष्टि के समय एनएसएपी डेटाबेस समान आधार या खाता संख्या को स्वीकार नहीं करता है। डुप्लीकेट आधार को हटाने का काम लगभग पूरा हो चुका था और वर्तमान में केवल 194 डुप्लीकेट मामले लंबित थे।

2.2.7.4 सभी हितग्राहियों के डेटा के डिजिटलीकरण का अभाव

अप्रैल 2014 में सचिव, समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु निर्देश जारी किये गये थे। उपरोक्त निर्देश के पैराग्राफ 3.4 के अनुसार, ''आवेदन निर्धारित प्रारूप में कंप्यूटर/ऑनलाइन डेटाबेस में दर्ज किए जाएंगे। ऑनलाइन मॉनीटरिंग सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन एंट्री आवश्यक होगी''। इस संबंध में, पत्र दिनांक 23.12.2016 के माध्यम से पेंशन योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों के डिजिटलीकरण को दिसंबर 2016 तक पूरा करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके अलावा, डीबीटी को सक्षम किए जाने हेतु सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता आंकड़ों का डिजिटलीकरण था।

संचालक, समाज कल्याण विभाग, रायपुर के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के तहत सभी हितग्राहियों की एनएसएपी–पीपीएस में ऑनलाइन डाटा एंट्री लेखापरीक्षा की तिथि (अक्टूबर 2021) तक पूरी नहीं की गई थी। योजनान्तर्गत हितग्राहियों के डाटा के डिजिटलीकरण की स्थिति **तालिका 2.2.4** में दर्शाई गई है:

तालिका 2.2.4: जुलाई 2021 की स्थिति में हितग्राहियों के डिजिटलीकरण का जिलेवार विवरण

स. क्र.	जिला	इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के अंतर्गत हितग्राहियों की संख्या	उन हितग्राहियों की संख्या जिनका विवरण एनएसएपी में दर्ज है	उन हितग्राहियों की संख्या जिनका डेटा एनएसएपी में उपलब्ध नहीं है	प्रतिशत (आंकड़े जिनका डिजिटलीकरण नहीं)
1	बलौदा बाजार	34947	34581	366	1.05
2	बिलासपुर	46918	46597	321	0.68
3	धमतरी	18390	18245	145	0.79
4	जशपुर	24772	24443	329	1.33
5	कोंडागांव	14506	14454	52	0.36
6	कोरबा	30936	28089	2847	9.2
7	कोरिया	13240	13217	23	0.17
8	नारायणपुर	4092	4087	5	0.12
9	रायगढ़	62821	61574	1247	1.99
	कुल	**250622**	**245287**	**5335**	**2.13**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा पत्र दिनांक 12.08.2021 द्वारा जारी निर्देशानुसार)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जुलाई 2021 तक कुल 5,335 (2.13 प्रतिशत) हितग्राहियों का विवरण ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज नहीं किया गया। विभिन्न जिलों में गैर–डिजिटलीकरण का प्रतिशत 0.12 और 9.2 प्रतिशत के बीच था। चूंकि इन हितग्राहियों का विवरण डेटाबेस में दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए इन हितग्राहियों को डीबीटी भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। यह डीबीटी कार्यान्वयन के लिए

समयबद्ध तरीके से डेटा के डिजिटलीकरण को पूरा करने के लिए निगरानी तंत्र की विफलता को इंगित करता है।

इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि पेंशन स्वीकृत करना एक सतत प्रक्रिया है और सभी जिलों में पूरे माह चलती रहती है। सभी जिलों में डिजिटलीकरण का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। सभी हितग्राहियों का डिजिटलीकरण पूरा करने के निर्देश जिला कार्यालयों को जारी कर दिए गए हैं। शीघ्रातिशीघ्र शत प्रतिशत डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

2.2.7.5 आधार उपलब्धता की स्थिति, सत्यापन और बैंक खातों के साथ संबद्धता

राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 28.04.2014 के दिशा–निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 7 के अनुसार जहां तक संभव हो पेंशन का भुगतान हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में किया जायेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पेंशन की मंजूरी, भुगतान और वितरण प्रक्रिया में दक्षता बढ़ाने के लिए पेंशन के वितरण के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (एनएसएपी–पीपीएस) भी विकसित किया गया है। डीबीटी को लागू करने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं हितग्राहियों के डेटा का डिजिटलीकरण, आधार नामांकन और बैंक खाते खोलना इत्यादि थीं। हितग्राहियों के दोहरावों से बचने और डीबीटी के रियल टाइम कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में बैंक खातों की आधार संख्या से संबद्धता भी वांछनीय थी। डीबीटी निर्देशों के अनुसार आधार नंबर आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को बढ़ाया जाना था। अपवाद के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 10 किमी की दूरी के भीतर कोई बैंक/डाकघर नहीं है वहां ग्राम पंचायत की बैठक में नगद पेंशन का भुगतान किया जा सकता है।

आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिसूचित किया (फरवरी 2017) कि एनएसएपी योजना के तहत लाभ पाने के इच्छुक व्यक्ति को आधार रखने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना आवश्यक था।

जिलों में उपलब्ध आधार संख्या, सत्यापित आधार और बैंक खातों के साथ सीडिंग की स्थिति **तालिका 2.2.5** में दर्शाई गई है:

तालिका 2.2.5: आधार संख्या की उपलब्धता, सत्यापन एवं सीडिंग का जिलावार विवरण

क्र. सं.	जिला	इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के तहत कुल हितग्राही	उपलब्ध आधार	आधार उपलब्धता का प्रतिशत	सत्यापित आधार	सत्यापित आधार प्रतिशत	बैंक खाते से संबद्ध आधार	बैंक खाते से संबद्ध आधार का प्रतिशत
1	बलौदाबाजार	34581	33810	98	32868	97	11529	34
2	बिलासपुर	46597	39319	84	38437	98	27911	71
3	धमतरी	18245	16367	90	15624	95	7866	48
4	जशपुर	24443	23626	97	20374	86	7680	33
5	कोंडागांव	14454	13800	95	13251	96	9519	69
6	कोरबा	28089	27014	96	24976	92	16584	61
7	कोरिया	13217	12025	91	11871	99	7548	63
8	नारायणपुर	4087	2704	66	2483	92	1635	60
9	रायगढ़	61574	60476	98	59475	98	48220	80
	कुल	**245287**	**229141**	**93**	**219359**	**96**	**138492**	**60**

(स्त्रोतः विभाग के पत्र दिनांक 12.08.2021 के अनुसार जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभिन्न जिलों में आधार की उपलब्धता का प्रतिशत 66 से 98 प्रतिशत के बीच था। नारायणपुर (66 प्रतिशत) और बिलासपुर (84 प्रतिशत) में आधार की उपलब्धता 90 प्रतिशत से कम थी जबकि अन्य जिलों में यह 90 प्रतिशत से अधिक थी। उपलब्ध आधार का सत्यापन 92 से 99 प्रतिशत के मध्य था। यह भी देखा जा सकता है कि बैंक खातों के साथ आधार सीडिंग का प्रतिशत 34 से 80 प्रतिशत के बीच था। इस प्रकार, सभी हितग्राहियों के आधार प्राप्त करने की आवश्यकता और इसकी प्रमाणीकरण प्रक्रिया का पूरा किया जाना शेष था।

आधार का उपयोग व्यक्ति की पहचान की प्रक्रिया को सरल करता है और सरकार को अपनी योजना के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता प्रदान करता है। आधार की उपलब्धता, प्रमाणीकरण एवं बैंक खाते से संबद्धता का अभाव डुप्लिकेट एवं नकली हितग्राहियों के अस्तित्व में रहने के जोखिम एवं उस सीमा तक योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता को न्यून करता है।

इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि राज्य शासन/भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पोर्टल में आधार का संग्रहण अनिवार्य है परन्तु आधार को बैंक से जोड़ना बैंक एवं खाताधारकों पर निर्भर करता है। उपलब्ध आधार की अधिकतम संख्या सत्यापित की गई है। हितग्राहियों को आधार से बैंक खाते से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आधार से जुड़े बैंक खातों की उपलब्धता हितग्राहियों के सटीक लक्ष्यीकरण के द्वारा वांछनीय आधार आधारित डीबीटी भुगतान को सक्षम करेगा और हितग्राहियों के दोहरावों को हटाने में एक प्रमुख उपकरण हो सकता है। विभाग ने 89 प्रतिशत मामलों में आधार का सत्यापन किया लेकिन आधार सीडिंग केवल 60 प्रतिशत मामलों में की गई। लंबित आधार संख्या प्राप्त कर सत्यापन पूरा किया जा सकता है।

2.2.7.6 हितग्राहियों को 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद बढ़ी हुई दरों पर पेंशन नहीं मिल पाना

राज्य शासन द्वारा जारी इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के कार्यान्वयन के दिशा–निर्देशों के पैरा 11.1 के अनुसार अन्य योजनाओं (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन) के तहत 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (इं.गां.रा.वृ.पें.यो.) के तहत लाया जाना था। इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के तहत 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले हितग्राही ₹ 650 प्रति माह की बढ़ी हुई दर पर पेंशन के हकदार हैं।

इसके अलावा, राज्य दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 और 11.3 में यह भी निर्धारित था कि राज्य की दो योजनाओं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सुखद सहारा योजना के हितग्राही, जो आयु में छूट और अन्य शर्तों के साथ एनएसएपी की उप योजनाओं के समान बीपीएल मानदंड रखते थे, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इं.गां.रा.वृ.पें.यो. में स्थानांतरित किये जाने थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के हितग्राहियों को 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इं.गां.रा.वृ.पें.यो. में स्थानांतरित नहीं किया गया था, इसलिए वे बढ़ी हुई दरों पर पेंशन लाभ प्राप्त नहीं कर सके। इसी प्रकार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सुखद सहारा योजना में 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के हितग्राहियों को इं.गां.रा.वृ.पें.यो. में स्थानांतरित नहीं करने के कारण बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल रही थी, जैसा कि दिशानिर्देशों में परिकल्पित है। विभिन्न योजनाओं के तहत 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के हितग्राहियों का विवरण **तालिका 2.2.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.2.6: 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के हितग्राहियों का जिलेवार विवरण

स. क्र.	जिला	इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के तहत 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के हितग्राही (बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त)	80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थी (पेंशन नहीं बढ़ाई गई)				
		इं.गां.रा.वृ.पें.यो.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	सुखद सहारा योजना	योग
1	बलौदाबाजार	4586	3	187	1020	191	1401
2	बिलासपुर	4422	2	1	219	15	237
3	कोरबा	5656	13	84	1132	102	1331
4	धमतरी	1467	7	39	589	55	690
5	जशपुर	1701	1	58	584	22	665
6	कोंडागांव	1599	2	0	94	12	108
7	कोरिया	1948	2	29	358	19	408
8	नारायणपुर	408	0	0	0	0	0
9	रायगढ़	6715	8	88	990	80	1166
	कुल	**28502**	**38**	**486**	**4986**	**496**	**6006**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी (एनएसएपी–पीपीएस –जुलाई 2021) अनुसार एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि नौ जिलों में राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इं.गाँ.रा.नि.पें.यो. के तहत 524 लाभार्थी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सुखद सहारा योजना के 5482 लाभार्थी थे जो 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के थे लेकिन इं.गां.रा.वृ.पें.यो. में स्थानांतरित नहीं हुए थे। इस प्रकार, इन नौ जिलों में 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6006 हितग्राहियों (कुल 34508 का 17.4 प्रतिशत) को बढ़ी हुई दरों पर पेंशन लाभ से वंचित रखा गया था। ये लाभार्थी सामान्य दर पर पेंशन ले रहे थे जो 80 वर्ष और उससे अधिक की दर से कम थी।

इंगित किए जाने पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इं.गाँ.रा.नि.पें.यो. के हितग्राहियों को इं.गां.रा.वृ.पें.यो. में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन राज्य की योजनाओं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सुखद सहारा योजना में निराश्रित श्रेणी के लाभार्थी हैं जो इं.गां.रा.वृ.पें.यो. में स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सुखद सहारा योजना के अन्य लाभार्थी जो इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के लिए पात्र हैं, उन्हें बढ़े हुए लाभों पर पेंशन सुनिश्चित करने के लिए इं.गां.रा.वृ.पें.यो. में स्थानांतरित किया जाएगा।

2.2.7.7 हितग्राहियों की मृत्यु के उपरांत भी पेंशन का निरंतर वितरण

समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 28.04.2014 के दिशा–निर्देशों के पैरा 4.5 के अनुसार पेंशनर की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर पेंशन राशि का भुगतान तत्काल रोका जाना था। दिशा–निर्देशों के अनुसार किसी लाभार्थी की मृत्यु होने पर ग्राम पंचायत के सरपंच को जनपद पंचायत को शीघ्र सूचित करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हितग्राही की मृत्यु के बाद तुरंत पेंशन नहीं रोकी गयी। लेखापरीक्षा के दौरान, पेंशन रोकने में विलंब के मूल्यांकन के लिए 109 प्रकरणों की नमूना जाँच की गई। यह पाया गया कि आठ प्रकरणों में पेंशन समय से रोकी गई, 39 प्रकरणों में छः महीने तक के विलंब, 16 प्रकरणों में छः महीने से एक साल तक के

विलंब, 13 प्रकरणों में एक साल से दो साल तक के विलंब से पेंशन रोकी गई। आठ प्रकरणों में यह दो वर्ष से तीन वर्ष तक विलंबित था जबकि चार प्रकरणों में यह चार वर्ष तक विलंबित था। पाँच हितग्राहियों के प्रकरण में उनकी मृत्यु के सात से 51 महीने बीत जाने के बाद भी पेंशन बंद नहीं की गई थी। सोलह हितग्राहियों के मामले में मृत्यु की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था इसलिए पेंशन की समाप्ति में देरी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। यह किसी लाभार्थी की मृत्यु के तुरंत बाद पेंशन को बंद करने में विभाग के द्वारा प्रभावी निगरानी की विफलता को दर्शाता है जिसकी परिणति ₹ 3.65 लाख के अधिक भुगतान के रूप में हुई। पेंशन रोके जाने में विलंब का मुख्य कारण ग्राम पंचायतों से देरी से सूचना प्राप्त होना था।

इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि पेंशन रोकने में विलंब का मुख्य कारण ग्राम पंचायत से सूचना देर से प्राप्त होना तथा बैंक/डाकघर से, जहाँ तीन माह से पेंशन आहरित नहीं की गयी थी, सूचना का अभाव था।

2.2.7.8 स्वीकृति के पूर्व एनएसएपी–पीपीएस में नए आवेदनों के विवरण दर्ज नहीं करने के परिणामस्वरूप अप्रभावी निगरानी

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एनएसएपी दिशानिर्देशों, राज्य के दिशानिर्देशों एवं विद्यमान क्रियाविधि के अनुसार, नए लाभार्थी के नामांकन के लिए आवेदन आवश्यक हैं। इस संबंध में, हितग्राहियों को स्थानीय भाषा में नमूना आवेदन पत्र व्यापक रूप से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना था। आगे इस बात पर बल दिया गया कि आवेदन पत्र वेबसाइट से डाउनलोड हेतु उपलब्ध कराया जाना था। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात, ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों को एक रजिस्टर में आवेदनों की प्राप्ति का विवरण दर्ज करना और साथ ही ऑनलाइन निगरानी सॉफ्टवेयर में दर्ज करना आवश्यक था। यह ऑनलाइन प्रविष्टि जनपद पंचायत स्तर पर की जानी थी। आवेदनों की प्राप्ति के बाद, निराकरण अवधि (प्राप्ति के समय से स्वीकृति या अस्वीकृति तक) साठ दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए थी एवं पेंशन के लिए पात्र होने की स्थिति में, पेंशन राशि आवेदन पत्र पंजीकरण के माह से स्वीकृत की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने हितग्राहियों को, जिला समाज कल्याण कार्यालयों, जनपद पंचायतों एवं साथ ही साथ ग्राम पंचायतों में भौतिक रूप से निःशुल्क आवेदन पत्र उपलब्ध कराये थे। परंतु, समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए कोई टैब नहीं था। आगे, हितग्राहियों को भौतिक रूप से आवेदन पत्र जमा करने के स्थान पर विभाग के पोर्टल अथवा वेबसाइट के माध्यम से सीधे पेंशन के लिए आवेदन जमा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि हितग्राही से आवेदन प्राप्त होने के बाद, ग्राम पंचायतों ने उन आवेदनों को जनपद पंचायतों को अग्रेषित किया। आवेदनों के सत्यापन एवं स्वीकृति/अस्वीकृति की प्रक्रिया जनपद पंचायत स्तर पर पूर्ण की गई है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनपद पंचायत स्तर पर आवेदन की प्राप्ति के विवरण को दर्ज करने के लिए रजिस्टर का संधारण नहीं किया जा रहा था और आवेदन पत्र प्राप्ति के तुरंत बाद एनएसएपी–पीपीएस में प्रविष्ट नहीं किए गए थे। आवेदन की प्राप्ति से लेकर स्वीकृति या अस्वीकृति तक की प्रक्रिया को मैनुअल ढंग से पूरा किया जा रहा था और केवल स्वीकृत आवेदनों का विवरण ही एनएसएपी–पीपीएस में दर्ज किया जा रहा था। तथापि, आवेदक की पात्रता स्थापित करने के लिए आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज जैसे कि फोटोग्राफ, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि भी एनएसएपी–पीपीएस पर अपलोड नहीं किए गए थे। इस प्रकार, आवेदन की प्राप्ति, आवेदनों के निराकरण एवं स्वीकृति या अस्वीकृति के कारण, पेंशन प्रारंभ इत्यादि के

आनलाइन ट्रेल के अभाव में, पेंशन की स्वीकृति में समयसीमा पालन एवं प्रक्रिया की प्रभावशीलता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने 62 भौतिक आवेदनों की नमूना जाँच की और पेंशन की स्वीकृति में दो महीने की निर्धारित अवधि के बाद भी विलंब देखा गया। संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 14 प्रकरणों में कोई विलंब नहीं था, 11 प्रकरणों में एक माह तक का विलंब था, 13 प्रकरणों में एक से छः माह के बीच का विलंब था, 11 प्रकरणों में छः माह से एक वर्ष के बीच का विलंब था और 2 प्रकरणों में एक वर्ष से अधिक का विलंब था। जबकि 11 प्रकरणों में आवेदन पत्रों पर आवेदन तिथि अंकित नहीं थी, अतः विलंब सुनिश्चित नहीं किया जा सका। स्वीकृति उपरांत, पेंशन प्रारंभ किए जाने में एक से तीन माह का और विलंब पाया गया।

इस प्रकार, दिशा–निर्देशों में परिकल्पित पेंशन कार्यक्रम को लागू करने का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका और पेंशन की स्वीकृति में विलंब एवं प्रभावी माह से पेंशन शुरू करने में भी विफलता ने हितग्राहियों को पात्र होने के बावजूद उन विलंबित महीनों के लिये पेंशन लाभ से वंचित रखा।

इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि लक्षित लाभार्थी अति संवेदनशील समूह से संबंध रखते हैं। उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए तीसरे पक्ष की जरूरत होगी। ऐसे में संदेहास्पद प्रविष्टियाँ भी हो सकती है। इसलिए, स्वीकृति के बाद, एनएसएपी–पीपीएस में केवल पात्र हितग्राहियों का विवरण दर्ज किया गया। दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। पेंशन स्वीकृत किए जाने और शुरू करने में विलंब मुख्य रूप से कोविड–19 महामारी के कारण हुई जिसने कार्यालयों के कामकाज को सीमित कर दिया था। इसके अलावा, बाद के चरणों में प्राप्त सभी आवेदनों (चाहे स्वीकृत या अस्वीकृत) के विवरण अपलोड करने की संभावना तलाशी जाएगी।

शासन ने आगे उत्तर दिया कि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन पत्र के लिए अलग से डाउनलोड सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। वर्तमान में एनएसएपी–पीपीएस या समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना उपलब्ध नहीं है। उसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

आवेदन पत्रों और दस्तावेजों के फ्रंट–एंड कैप्चर के निर्माण का प्रकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनआईसी के संज्ञान में लाया जा सकता है।

2.2.7.9 अपात्र हितग्राहियों को पेंशन जारी करना

पात्रता मानदंड के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक का व्यक्ति जिसका नाम बीपीएल सूची में है और छत्तीसगढ़ का निवासी है, इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र था।

तथापि, नौ जिलों में से लेखापरीक्षा ने रायगढ़ जिले में पाया कि 60 वर्ष से कम आयु वाले 36 हितग्राहियों (जिले में कुल लाभार्थी 61574) को इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के तहत पेंशन स्वीकृत और वितरित की गयी। ये हितग्राही आयु मानदंड के अनुसार पात्र नहीं थे। विभाग ने इन हितग्राहियों के आवेदन पत्र और उनकी पात्रता स्थापित करने के लिए संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए।

इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि अब डाटाबेस का उन्नयन कर दिया गया है। इसलिए, यदि 60 वर्ष से कम आयु दर्ज की जाती है तो यह निम्न आयु के संदेश को दर्शाता है। प्रकरणों की जाँच की जा रही है तथा कम आयु का पाए जाने पर पेंशन वितरण बंद कर दिया जाएगा।

2.2.7.10 हितग्राहियों की सक्रियता से पहचान

योजना के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार इस योजना के तहत पेंशन/सहायता के पात्र व्यक्ति समाज के सबसे कमजोर वर्ग से संबंधित हैं। इसलिए, यह कार्यान्वयन एजेंसी का नैतिक दायित्व बन जाता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि चिन्हांकन, स्वीकृति और सत्यापन प्रक्रियाओं में उन पर कम से कम भार पड़े।

इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अपनी पात्रता साबित करने की जिम्मेदारी हितग्राही पर न हो। कार्यान्वयन एजेंसी को कमजोर समूहों जैसे हाथ से मैला ढोने वालों, कुष्ठ रोग, एड्स, कैंसर, टीबी और अन्य गंभीर बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों, बंधुआ मजदूरों, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा आदि के कारण प्रभावित परिवारों आदि के लिए विशेष प्राथमिकता पर कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए। ट्रांसजेंडर, बौने जो पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, को भी शामिल किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभाग ने योग्य हितग्राहियों जैसे हाथ से मैला ढोने वालों, कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों, बंधुआ मजदूरों आदि, जिन्हें इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के तहत कवर किया जा सकता था, की पहचान करने के लिए कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया।

इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि उक्त वर्ग के कल्याण हेतु राज्य शासन के अन्य संबंधित विभाग विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। अतः दोहराव से बचने तथा वित्तीय भार को कम करने के लिए विभाग ने कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया। तथापि, कमजोर समूहों को सम्मिलित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस संबंध में जिला कार्यालयों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

विभाग ऐसे पात्र हितग्राहियों तक पहुंचने के लिए जागरूकता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर सकता है और राज्य शासन के अन्य विभागों के साथ संपर्क कर सकता है।

2.2.7.11 राज्य डीबीटी पोर्टल पर डीबीटी संव्यवहार संबंधी आँकड़ों का प्रदर्शित नहीं होना

राज्य स्तर पर डीबीटी ढांचे को समझने और अपनाने में सक्षम बनाने और डीबीटी संचालन से संबंधित गतिविधियों और मामलों के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने, विभिन्न योजनाओं में डीबीटी के कार्यान्वयन का समन्वय करने के लिए राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। आगे, एनएसएपी के तहत डीबीटी की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए समाज कल्याण विभाग के भीतर राज्य डीबीटी समिति का भी गठन किया गया था। राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ का प्राथमिक कार्य राज्य स्तर पर कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का विश्लेषण एवं डीबीटी योग्य होने की पहचान करना था। इं.गां.रा.वृ.पें.यो. डीबीटी के लिए चिंहित योजनाओं में से एक थी। इसके अलावा, राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ की गतिविधियों को एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुपूरण हेतु एक स्वतंत्र और विन्यास योग्य समाधान के रूप में राज्य सरकार के लिए डीबीटी सूचना के प्रबंधन के लिए केंद्रीय डीबीटी पोर्टल एवं राज्य डीबीटी पोर्टल उपलब्ध कराया गया था। डीबीटी के दिशा–निर्देशों के अनुसार, योजना के तहत डीबीटी की प्रगति का विवरण राज्य डीबीटी पोर्टल पर अद्यतन किया जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि इं.गां.रा.वृ.पें.यो. से संबंधित डीबीटी आंकड़ें राज्य डीबीटी पोर्टल पर अद्यतन नहीं किये जा रहे थे। राज्य डीबीटी पोर्टल पर 2019–20 तक के आंकड़े उपलब्ध थे लेकिन वर्ष 2020–21 का कोई भी आंकड़ा राज्य डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराया गया था।

इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि राज्य डीबीटी पोर्टल एनएसएपी–पीपीएस और भुगतान मॉड्यूल के साथ एकीकृत नहीं है। डीबीटी आंकड़ों का विवरण मैनुअल रूप से प्रविष्ट किया जाता है और पोर्टल पर प्रविष्टियां करने के लिए केवल वर्ष 2019–20 तक ही पहुंच उपलब्ध है। इसलिए, राज्य डीबीटी पोर्टल पर वर्ष 2020–21 और उसके बाद का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

एनएसएपी–पीपीएस और भुगतान मॉड्यूल के साथ राज्य डीबीटी पोर्टल के एकीकरण का प्रकरण एनआईसी के समक्ष उठाया जा सकता है।

2.2.8 निष्कर्ष

डीबीटी का मूल उद्देश्य लाभों का इलेक्ट्रॉनिक अंतरण सुनिश्चित करना, लाभ प्रवाह में शामिल मध्यवर्ती स्तरों को कम करना, भुगतान में देरी को कम करना और चोरी और दोहराव को रोकना था। राज्य में डीबीटी के क्रियान्वयन के बाद नमूना जाँच किये गये नौ जिलों में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में डीबीटी के माध्यम से 95 प्रतिशत पेंशन भुगतान किया गया था। तिरानवे प्रतिशत मामलों में आधार संख्या प्राप्त कर ली गई थी जबकि चार प्रतिशत मामलों में आधार का सत्यापन लंबित था। 5,335 (2.13 प्रतिशत) हितग्राहियों के संबंध में डीबीटी अंतरण के लिए आवश्यक डेटा का डिजिटलीकरण पूरा नहीं किया गया था। अस्सी वर्ष और उससे अधिक आयु के 6,006 लाभार्थी ऐसे थे जिन्हें बढ़ी हुई दरों पर पेंशन नहीं मिल रही थी। हितग्राही की मृत्यु के बाद पेंशन रोके जाने में विलंब हुआ। हितग्राहियों को पेंशन की स्वीकृति एवं वितरण में विलंब के प्रकरण पाये गये। लेखापरीक्षा में डुप्लीकेट हितग्राहियों के प्रकरण देखे गए। पेंशन के लिए आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड नहीं किया जा सकता था और जो लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते थे, उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। प्राप्ति के तुरंत बाद एनएसएपी–पीपीएस में आवेदन प्रपत्रों की प्रविष्टि नहीं की जा रही थी, बल्कि पात्र आवेदकों के विवरण सहायक दस्तावेजों जैसे फोटोग्राफ, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि को अपलोड किए बिना दर्ज किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति प्रक्रिया की निगरानी नहीं की जा रही थी।

2.2.9 अनुशंसाएं

1. *शेष 2.13 प्रतिशत हितग्राहियों का डिजिटलीकरण शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।*
2. *प्रत्येक माह की सात तारीख तक डीबीटी भुगतान सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि निधियों को जिलों को हस्तांतरित करने और इसे एसएनए में वापस लेने में देरी को कम किया जा सके अथवा इस चरण को समाप्त किया जा सके।*
3. *शेष डुप्लीकेट हितग्राहियों का सत्यापन किया जाना चाहिए और तदनुसार हटा दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें दोहरा लाभ प्राप्त करने से रोका जा सके और एकल हितग्राही को कई पेंशन की मंजूरी को रोकने के लिए एनएसएपी–पीपीएस में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण विकसित किए जाने चाहिये।*
4. *विभाग को शेष हितग्राहियों का आधार नंबर प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और आधार सत्यापन के लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिये।*

5. *80 वर्ष या उससे अधिक आयु के हितग्राहियों और इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के तहत पेंशन पाने के पात्रों को दिशानिर्देशों में परिकल्पित बढ़ी हुई दरों पर पेंशन लाभ दिया जाना चाहिए।*

6. *पेंशन फॉर्म को आसानी से डाउनलोड करने योग्य बनाया जाना चाहिये और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिये। एनएसएपी–पीपीएस के माध्यम से सभी आवेदनों (चाहे स्वीकृत या अस्वीकृत) की प्रविष्टि और प्रसंस्करण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इस मामले को ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनआईसी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।*

लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग

2.3 कार्यों में उपयोग किये गये गौण खनिजों के रॉयल्टी प्रभारों की कटौती

2.3.1 प्रस्तावना

लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख एजेंसियां हैं जो सड़कों/भवनों/पुलों और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण/सुधार के लिए जिम्मेदार हैं। ये विभाग निर्माण विभाग नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों के माध्यम से कार्यों का निष्पादन करते हैं।

निर्माण कार्यों में, ठेकेदारों द्वारा गौण खनिज जैसे पत्थर, धातु, रेत, मूरूम[11] आदि का उपयोग किया जाता है। कार्यपालन अभियंता ठेकेदारों के चल/अंतिम देयकों से कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों के रॉयल्टी प्रभारों की कटौती करते हैं। इस प्रकार काटी गई रॉयल्टी राशि को निर्माण विभाग के निक्षेप शीर्ष (8443 सिविल निक्षेप–108–लोक निर्माण निक्षेप) में रखा जाता है और ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र (आरसीसी) जमा करने के उपरांत ठेकेदार को वापस कर दिया जाता है। ठेकेदार द्वारा आरसीसी जमा नहीं करने पर, काटी गयी रॉयल्टी की राशि खनिज साधन विभाग के खाते में जमा करायी जाती है। निर्माण विभाग नियमावली के अनुसार, सामग्री के निष्कर्षण एवं निर्माण सामग्री पर रॉयल्टी का आरोपण छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली द्वारा शासित होता है जिसे समय–समय पर संशोधित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के खनिज साधन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा सभी निर्माण विभागों को यह निर्देश[12] जारी किया गया था कि वे ज्ञात कर लें कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों को ठेकेदार के द्वारा अधिकृत स्त्रोत[13] से लाया गया है एवं अंतिम देयक भुगतान से पूर्व ठेकेदार ने जिला खनिज अधिकारी द्वारा जारी आरसीसी प्रस्तुत कर दिया है।

छत्तीसगढ़ शासन के दो निर्माण विभागों लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा, खनिज साधन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों के रॉयल्टी प्रभारों की कटौती पर केन्द्रित करते हुए किया गया है तथा इसका अनुपालन नहीं किए जाने पर लेखापरीक्षा में टिप्पणी की गयी है।

2.3.2 निर्माण विभागों द्वारा काटे गए रॉयल्टी प्रभार

वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान निर्माण विभागों द्वारा ठेकेदारों के देयकों से वसूले गये एवं खनिज साधन विभाग के खाते में भुगतान किये गये रॉयल्टी प्रभारों का विवरण **तालिका 2.3.1** में वर्णित है।

---

[11] मूरूम एक प्रकार की मिट्टी है, जिसका उपयोग अधिकतर निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है। यह गहरे भूरे या लाल रंग का होता है जिसका उपयोग प्लिंथ फिलिंग, सड़क फुटपाथ, खाइयों में बैकफिलिंग, फुटिंग पिट में किया जाता है।

[12] छत्तीसगढ़ शासन के खनिज साधन विभाग के पत्र दिनांक 18.10.2001 एवं 13.10.2004; वित्त विभाग का पत्र दिनांक 28.12.2002 एवं संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म का पत्र दिनांक 18.02.2015 एवं 03.06.2016।

[13] अधिकृत स्त्रोत से अभिप्राय है कि ठेकेदार द्वारा शासकीय कार्य में उपयोग हेतु प्राप्त खनिजों को अनुमोदित खदानों से वैध परिवहन पास प्रस्तुत करने के पश्चात प्राप्त किया जाना चाहिए।

तालिका 2.3.1: निर्माण विभागों द्वारा कटौती किए गए रॉयल्टी प्रभार

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग	वर्ष					
		2019–20		2020–21		2021–22	
		ठेकेदारों के देयकों से किए गए रॉयल्टी की कटौती[14]	खनिज संसाधन विभाग को रॉयल्टी का भुगतान[15]	ठेकेदारों के देयकों से किए गए रॉयल्टी की कटौती	खनिज संसाधन विभाग को रॉयल्टी का भुगतान	ठेकेदारों के देयकों से किए गए रॉयल्टी की कटौती	खनिज संसाधन विभाग को रॉयल्टी का भुगतान
01.	लोक निर्माण विभाग	78.56	9.09	109.21	21.49	163.35	10.97
02.	जल संसाधन विभाग	18.75	19.05	19.24	18.33	10.28	10.99
कुल योग		**97.31**	**28.14**	**128.45**	**39.82**	**173.63**	**21.96**

(स्त्रोतः लोक निर्माण विभाग वेबसाइट एवं प्रमुख अभियंता कार्यालय, जल संसाधन विभाग)

ठेकेदारों के देयकों से काटी गई कुल ₹ 399.39 करोड़ की रॉयल्टी में से मात्र ₹ 89.92 करोड़ खनिज साधन विभाग के खाते में जमा किये गये।

2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ किया गया थाः

- क्या अनुबंधों के प्रावधान अधिनियमों, नियमों और राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप थे
- क्या ठेकेदार के देयकों से रॉयल्टी की कटौती अधिनियमों, नियमों और शासकीय निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की गई थी।

2.3.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड निम्नलिखित स्त्रोतों से लिये गए थे–

- निर्माण विभाग नियमावली
- अनुबंध अभिलेख
- छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 (सीजीएमएमआर, 2015)
- खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम)
- छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग/वित्त विभाग द्वारा गौण खनिजों के रॉयल्टी प्रभारों की वसूली हेतु जारी किए गए परिपत्र
- गौण खनिजों की रॉयल्टी दरों को निर्धारित करने वाली राजपत्र अधिसूचनाएं
- गौण खनिजों के बाजार मूल्य पर जिला कलेक्टरों/जिला खनिज अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश

---

[14] ठेकेदार के देयकों से काटी गई रॉयल्टी को संभाग के 8443–सिविल निक्षेप–108–लोक निर्माण निक्षेप लेखा के अंतर्गत रखा गया है।

[15] रॉयल्टी का भुगतान खनिज साधन विभाग के खाते 0853–अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग–अन्य पावती में करने की आवश्यकता है।

2.3.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत 2019–20 और 2020–21 की अवधि में लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यपालन अभियंता कार्यालयों और सात शीर्ष स्तरीय ईकाइयों[16] एवं जल संसाधन विभाग के 18 कार्यपालन अभियंता कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा में लोक निर्माण विभाग के 964 ठेकों में से 285 तथा जल संसाधन विभाग के 149 ठेकों में से 41 की संवीक्षा की गई जिनमें लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अंतिम देयकों का भुगतान किया गया था। अनुपालन लेखापरीक्षा अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2021 के दौरान की गई थी। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पूर्ण किये गये अनुबंधों में से प्रत्येक लोक निर्माण संभाग में पाँच उच्चतम मूल्य के अनुबंधों और प्रत्येक जल संसाधन संभाग में तीन उच्चतम मूल्य के अनुबंधों का विस्तृत जाँच के लिए चयन किया गया था।

2.3.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सीजीएमएमआर, 2015 के नियम–71 और एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के अनुच्छेद–21 (5) में जिला कलेक्टर/खनिज अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये गौण खनिजों के अनधिकृत निष्कर्षण और परिवहन किए जाने पर शास्ति की वसूली का प्रावधान है। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया (फरवरी 2015 एवं जून 2016) कि वे निर्माण विभागों को ठेकेदारों से जिला खनिज संस्थान न्यास राशि (डीएमएफ) के साथ गौण खनिजों के रॉयल्टी और बाजार मूल्य की कटौती के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें और कार्य पूर्ण होने पर ठेकेदारों को अंतिम देयक भुगतान से पहले आरसीसी प्राप्त करना सुनिश्चित करें। ये आदेश राज्य शासन द्वारा खनिज साधन विभाग (अक्टूबर 2001 एवं अक्टूबर 2004) एवं वित्त विभाग (दिसम्बर 2002) के अंतर्गत जारी आदेशों के संदर्भ में जारी किये गये हैं।

सीजीएमएमआर, 2015 के नियम–71 (अ), संशोधित जून 2020 में निर्धारित किया गया है कि संबंधित निर्माण विभाग को ठेकेदारों द्वारा किए गए निर्माण कार्य में प्रयुक्त गौण खनिजों के बाजार मूल्य के बराबर राशि की कटौती उनके देयकों में से करनी चाहिए। ठेकेदार कार्य में उपयोग किए गए खनिजों के वैध अभिवहन पास के साथ खनिज कार्यालय में एक आवेदन जमा करके संबंधित कलेक्टर के माध्यम से आरसीसी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बाद निर्माण विभाग द्वारा काटी गई राशि ठेकेदारों को वापस की जा सकती है और उनके अंतिम देयकों का भुगतान किया जा सकता है। इसमें आगे प्रावधान किया गया है कि यदि ठेकेदार निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों के वैध अभिवहन पास प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, तो एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23–बी के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

खनिज साधन विभाग तथा सीजीएमएमआर, 2015 के उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन नहीं किए जाने पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

2.3.6.1 अनुबंध प्रावधानों में संशोधन नहीं किया जाना

लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी (31 अक्टूबर 2005) मानक अनुबंध अभिलेख के अनुसार ठेकेदार को सभी खदान, रॉयल्टी प्रभारों आदि का भुगतान करना होगा। यदि ठेकेदार संबंधित विभाग से आरसीसी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कार्यपालन अभियंता ठेकेदारों के देयकों से रॉयल्टी प्रभारों की कटौती कर निक्षेप शीर्ष (8443–सिविल निक्षेप–108–लोक निर्माण निक्षेप) में रखेगा, जिसे संबंधित विभाग से आरसीसी प्रस्तुत करने पर ठेकेदार को वापस कर दिया जायेगा। यदि वह अंतिम देयक प्रस्तुत करने के 30 दिवस के अन्दर आरसीसी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कार्यपालन अभियंता

[16] प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता कार्यालय।

द्वारा निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत रखे गये रॉयल्टी प्रभार संबंधित विभाग में जमा कर दिये जायेंगे एवं उसका अंतिम देयक भुगतान कर दिया जायेगा[17]। इसी प्रकार, जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित अनुबंध अभिलेख के अनुसार, सामग्री के लिए रॉयल्टी प्रभार का भुगतान ठेकेदार द्वारा नियमानुसार किया जावेगा, जो ठेकेदार को वापस नहीं किया जावेगा।

खनिज साधन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों (2001 से 2004) एवं संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा जारी आदेश (2015–16) के अनुसार, कार्य में प्रयुक्त गौण खनिज के विरूद्ध ठेकेदार द्वारा आरसीसी प्रस्तुत किये जाने पर ही ठेकेदार के अंतिम देयक का भुगतान किया जाना था।

इसके पश्चात, राज्य शासन द्वारा सीजीएमएमआर में राजपत्र अधिसूचना दिनांक 26 जून 2020 के माध्यम से संशोधन करके नियम–71 (अ) को शामिल किया गया, जो ठेकेदारों के देयकों से निर्माण कार्य में उपयोग किए जाने वाले गौण खनिजों के बाजार मूल्य की कटौती को निर्धारित करता है। इसमें आगे प्रावधान किया गया कि ठेकेदार द्वारा उपयोग किए गए खनिज के लिए संबंधित कलेक्टर से आरसीसी प्राप्त करने के बाद निर्माण विभाग द्वारा काटी गई राशि वापस की जा सकती है और ठेकेदारों को अंतिम देयकों का भुगतान किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त आदेशों तथा रॉयल्टी की कटौती एवं अंतिम देयकों के भुगतान से संबंधित नियमों में संशोधन के बावजूद, दोनों निर्माण विभागों के अनुबंध अभिलेखों के रॉयल्टी अनुच्छेद में शासकीय आदेशों के अनुरूप ऐसे प्रावधान शामिल नहीं किये गये थे। इसके विपरीत, लोक निर्माण विभाग के ठेकों में रॉयल्टी प्रावधान निर्धारित करता है कि यदि ठेकेदार अंतिम देयक जमा करने के 30 दिनों के अंदर आरसीसी उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो कार्यपालन अभियंता अंतिम देयक का भुगतान करेगा और संबंधित विभाग में रॉयल्टी प्रभार जमा करेगा जबकि जल संसाधन विभाग के अनुबंधों में आरसीसी जमा नहीं करने की स्थिति में अंतिम देयक का भुगतान रोके जाने के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

इस प्रकार, लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग द्वारा ठेके के अभिलेखों के रॉयल्टी अनुच्छेद में खनिज साधन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप संशोधन नहीं किया गया। राज्य शासन द्वारा सीजीएमएमआर में जून 2020 में संशोधन के बावजूद भी रॉयल्टी अनुच्छेद को संशोधित नहीं किया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में राज्य शासन के निर्माण विभागों के विभिन्न संभागों के अनुबंध अभिलेखों में भी मानक रॉयल्टी अनुच्छेद की कमी पाई गई।

राज्य शासन द्वारा सीजीएमएमआर 2015 में किए गए संशोधन के अनुसार रॉयल्टी अनुच्छेदों को संशोधित किए बिना, निर्माण विभागों के द्वारा जून 2020 के बाद 8,417 अनुबंधों (लोक निर्माण विभागः 8,134 और जल संसाधन विभागः 283) में कार्य आदेश जारी किए गए थे।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया (जून 2022) एवं प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने कहा कि मामले में आगामी दिशानिर्देशों के लिए शासन को अग्रेषित किया जा रहा है।

तथ्य यह है कि निर्माण विभागों द्वारा अनुबंध प्रावधानों में संशोधन के लिए उचित कार्यवाही नहीं की गई।

---

[17] एडीबी परियोजना कार्यों में, रॉयल्टी के लिए अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है कि ठेकेदार कार्यस्थल के बाहर से प्राप्त प्राकृतिक सामग्रियों के लिए सभी रॉयल्टी, किराए और अन्य भुगतानों का भुगतान करेगा।

2.3.6.2 रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अनुबंधों के अंतिम देयकों का अनियमित भुगतान

लोक निर्माण विभाग के 51 संभागों के 285 अनुबंधों[18] की जाँच में पाया गया कि ठेकेदारों ने 76 अनुबंधों में आरसीसी प्रस्तुत किये थे। 209 अनुबंधों में (48 संभाग), ठेकेदारों द्वारा आरसीसी प्रस्तुत नहीं किया गया तथा वित्त विभाग एवं खनिज साधन विभाग द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 368.91 करोड़ के अंतिम देयकों का भुगतान, **परिशिष्ट 2.3.1** के विवरण के अनुसार, किया गया। 51 संभागों में से पाँच[19] संभागों ने राज्य शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए ठेकेदारों द्वारा आरसीसी जमा नहीं करने की स्थिति में गौण खनिजों का बाजार मूल्य वसूल किया तथा शेष 46 संभागों द्वारा खनिज साधन विभाग/वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।

इसी प्रकार, जल संसाधन विभाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 41 अनुबंधों[20] में से आठ में ठेकेदारों ने आरसीसी जमा कराये थे। केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग के दो अनुबंधों में ठेकेदारों ने आंशिक मात्रा के लिए आरसीसी प्रस्तुत किया था और शेष मात्रा के लिए रॉयल्टी प्रभार बाजार दर के अनुसार वसूल किया गया था। सोलह संभागों में, खनिज साधन विभाग/वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया जहाँ ठेकेदारों द्वारा आरसीसी प्रस्तुत नहीं किए जाने के बावजूद 33 अनुबंधों में ₹ 24.01 करोड़ के अंतिम देयकों का भुगतान कर दिया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.3.2** में दर्शित है।

2.3.6.3 ठेकेदारों से गौण खनिजों के बाजार मूल्य की कटौती नहीं करने के कारण राजस्व की हानि

संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म ने सभी जिला कलेक्टरों को शासकीय कार्यों में प्रयुक्त खनिजों के संबंध में ठेकेदारों के देयकों से डीएमएफ सहित खनिजों की रॉयल्टी एवं बाजार दर की कटौती करने के निर्देश जारी करने हेतु आदेश जारी किया था (फरवरी 2015 एवं जून 2016), ताकि आरसीसी जमा करने के पश्चात् ही निर्माण विभागों द्वारा ठेकेदार को अंतिम देयकों का भुगतान किया जा सके।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि राज्य के 28 में से केवल 10[21] जिलों के कलेक्टरों ने एक वर्ष के अंतर्गत खनिजों की बाजार दर निर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी किए थे और निर्माण विभागों को रॉयल्टी और डीएमएफ के साथ गौण खनिजों के बाजार मूल्य की कटौती करने और जमा करने का निर्देश दिया था। आठ[22] जिलों में लेखापरीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् अगस्त 2020 से अगस्त 2021 के बीच आदेश जारी किए गए थे

---

[18] अनुबंधों की अवधि थी – 2012–13 : 3, 2013–14 : 10, 2014–15 : 16, 2015–16 : 33, 2016–17 : 51, 2017–18 : 58, 2018–19 : 76, 2019–20 : 27 और 2020–21 : 11, अंतिम भुगतान 2019–20 और 2021–22 के दौरान किए गए थे।

[19] मुख्य अभियंता–बिलासपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (बी/आर) संभाग–चांपा, कोरबा, पेंड्रा, रायगढ़ और मुख्य अभियंता–सेतु परिक्षेत्र, रायपुर के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु) संभाग–अंबिकापुर।

[20] अनुबंधों की अवधि थी – 2011–12 : 1, 2013–14 : 3, 2014–15 : 2, 2015–16 : 2, 2016–17 : 5, 2017–18 : 7, 2018–19 : 11, 2019–20 : 4 और 2020–21 : 6, अंतिम भुगतान 2019–20 और 2021–22 के दौरान किए गए थे।

[21] (1) बीजापुर (2) जशपुर (3) कोरबा (4) कोरिया (5) रायगढ़ (6) सूरजपुर, (7) सरगुजा (8) जांजगीर–चांपा (9) दुर्ग और (10) राजनांदगांव

[22] (1) बेमेतरा (2) बलौदा बाजार (3) धमतरी (4) गरियाबंद (5) कवर्धा (6) महासमुंद, (7) नारायणपुर और (8) बलरामपुर–रामानुजगंज

जबकि शेष नौ[23] जिलों में संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा आदेश जारी करने के बाद एक से पाँच वर्ष के विलंब से आदेश जारी किए गए। रायपुर जिले में कलेक्टर ने आज तक (मई 2022) गौण खनिजों के बाजार मूल्य की वसूली के आदेश जारी नहीं किये हैं। लेखापरीक्षा को यह बताया गया कि खनिजों का बाजार दर निर्धारित करने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में रॉयल्टी के चार गुना के बराबर बाजार दर वसूल की जा रही थी।

लेखापरीक्षा ने लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग के 62 संभागों में 242 अनुबंधों की जाँच की और 203 अनुबंधों में निर्माण कार्यों में उपयोग किए गए गौण खनिज जिनके लिए ठेकेदारों के द्वारा आरसीसी प्रस्तुत नहीं किये गये थे, की बाजार दरों में कटौती नहीं करने के कारण ₹ 307.09 करोड़ के बाजार मूल्य की वसूली नहीं होना पाया जैसा कि विवरण नीचे दिया गया है।

2.3.6.3 (i) बाजार दर आदेश जारी करने में विलम्ब के कारण खनिजों के बाजार मूल्य की वसूली नहीं होना

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 12[24] जिलों के 20 संभागों (लोक निर्माण विभाग –18, जल संसाधन विभाग–2) के अंतर्गत 66 अनुबंधों में निर्माण विभागों द्वारा ठेकेदारों से आरसीसी प्राप्त किए बिना ठेकेदारों को अंतिम देयकों का भुगतान किया गया था। बाजार दरों के अभाव में, सरकारी कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों के लिए ठेकेदारों के देयकों से केवल रॉयल्टी प्रभार[25] की राशि ₹ 38.74 करोड़ (लोक निर्माण विभाग– ₹ 38.46 करोड़, जल संसाधन विभाग–₹ 0.28 करोड़) की कटौती की गई थी। इस प्रकार, बाजार दर आदेश जारी करने में विलंब के परिणामस्वरूप खनिजों के बाजार मूल्य की राशि ₹ 137.61 करोड़ की वसूली नहीं हुई जिसके लिए ठेकेदारों द्वारा आरसीसी प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जैसा कि **परिशिष्ट 2.3.3** में वर्णित है।

2.3.6.3 (ii) जिला कलेक्टर के बाजार दरों पर आदेश के बावजूद बाजार मूल्य की वसूली नहीं किया जाना

गौण खनिजों के बाजार मूल्य को निर्दिष्ट करते हुए 21[26] जिलों के कलेक्टरों ने आदेश जारी किये और ठेकेदारों द्वारा आरसीसी जमा नहीं करने की स्थिति में गौण खनिजों के बाजार मूल्य की वसूली के लिये निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंताओं को निर्देशित किया।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इन 21 जिलों में 137 अनुबंधों (लोक निर्माण विभाग–35 संभागों में 119 तथा जल संसाधन विभाग–12 संभागों में 18) में कार्यपालन अभियंताओं द्वारा ठेकेदारों के अंतिम देयकों का भुगतान जिला कलेक्टरों के आदेशों का अनुपालन किये बिना किया गया तथा ठेकेदारों द्वारा आरसीसी प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद भी गौण खनिजों के बाजार मूल्य की वसूली नहीं की गई।

---

23 (1) दंतेवाड़ा (2) बालोद (3) सुकमा (4) कांकेर (5) कोंडागांव (6) बिलासपुर (7) गौरेला–पेंड्रा–मरवाही (8) बस्तर (9) मुंगेली

24 बस्तर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा, कांकेर, महासमुंद, नारायणपुर, रायपुर, बलरामपुर–रामानुजगंज एवं सुकमा

25 राजपत्र अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2018 के अनुसार स्वीकृत खदान पट्टे से लिए गए खनिजों के लिए लागू रॉयल्टी दरें: गिट्टी–₹ 130 प्रति घन मीटर, रेत–₹ 50 प्रति घन मीटर और मूरूम–₹ 50 प्रति घन मीटर; पूर्व में राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31 दिसंबर 2012 के अनुसार: गट्टी ₹ 103 प्रति घन मीटर, रेत–₹ 20 प्रति घन मीटर और मूरूम–₹ 20 प्रति घन मीटर

26 बस्तर, बालोद, बलरामपुर–रामानुजगंज, बीजापुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, दंतेवाड़ा, जशपुर, जांजगीर–चांपा, कवर्धा, कांकेर, कोरबा, कोरिया, कोंडागांव, मुंगेली, रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा, सूरजपुर और सुकमा

इसके परिणामस्वरूप गौण खनिजों के बाजार मूल्य ₹ 169.48 करोड़ (लोक निर्माण विभाग–₹ 158.71 करोड़ और जल संसाधन विभाग–₹ 10.77 करोड़) की वसूली नहीं हुई, जैसा कि **परिशिष्ट 2.3.4** और **2.3.5** में वर्णित है।

उपरोक्त प्रकरणों में आरसीसी के अभाव में, ठेकेदार द्वारा शासकीय कार्य में उपयोग के लिए खनिजों की वैध स्त्रोत से खरीद सुनिश्चित नहीं की जा सकती है और खनिजों के अनधिकृत परिवहन और उपयोग तथा इस कारण शासकीय राजस्व के रिसाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया (जून 2022) और प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने कहा कि प्रकरण को आगामी दिशा–निर्देशों के लिए शासन को अग्रेषित किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि राजपत्र में अधिसूचित दरों पर अनुबंध प्रावधानों के अनुसार रॉयल्टी प्रभार वसूल किया गया है।

लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंताओं का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य शासन एवं जिला कलेक्टरों द्वारा जारी आदेशों के विपरीत कार्यों में उपयोग किये गये खनिजों का बाजार मूल्य वसूल नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप राज्य शासन को राजस्व की हानि हुई।

2.3.6.4 रॉयल्टी राशि ₹ 65.39 करोड़ को खाते के अंतिम शीर्ष में प्रेषित न करके निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत अनियमित रूप से रोक कर रखा जाना

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी आदेश (अक्टूबर 2004) के अनुसार ठेकेदार के देयकों से काटी गयी रॉयल्टी राशि को खनिज साधन विभाग के खाते में अंतिम देयक के भुगतान के एक माह की अवधि के अंदर प्रेषण किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि लोक निर्माण विभाग के 44 संभागों में 142 अनुबंधों के अंतर्गत रॉयल्टी प्रभार के मद में ₹ 68.63 करोड़ की कटौती की गई थी। तथापि, ₹ 65.39 करोड़ की राशि संभाग में निक्षेप शीर्ष (8443–सिविल निक्षेप–108–लोक निर्माण निक्षेप) के अंतर्गत रखी गई थी जिसे अंतिम देयकों के भुगतान के एक महीने से अधिक समय व्यतीत जाने के बावजूद भी खनिज साधन विभाग के अंतर्गत रॉयल्टी के अंतिम लेखे शीर्ष (0853–अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग–अन्य प्राप्तियाँ) में जमा नहीं किया गया था। रॉयल्टी राशि को निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत संभागों में रोक कर रखने की अवधि छः से 47 महीने के मध्य थी, जैसा कि **परिशिष्ट 2.3.6** में वर्णित है। रॉयल्टी राशि को संभागों के निक्षेप शीर्ष में अधिक समय तक रखने और निगरानी की कमी के कारण ठेकेदारों को अनियमित रूप से विमुक्त किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर 11[27] संभागों द्वारा 24 अनुबंधों में ₹ 5.34 करोड़ की राशि खनिज साधन विभाग के खाते में जमा करायी गयी, जबकि अन्य संभागों के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि मुख्य अभियंताओं से आवंटन प्राप्त होते ही रॉयल्टी की राशि खनिज साधन विभाग के खाते में यथाशीघ्र जमा करा दी जायेगी।

तथ्य यह है कि कार्यपालन अभियंता रॉयल्टी प्रभार को अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित अंतिम देयक के भुगतान के एक माह के भीतर खनिज साधन विभाग के खाते में जमा कराने में असफल रहे। विभाग संबंधित कार्यपालन अभियंताओं पर निर्धारित समय के भीतर खनिज साधन विभाग के लेखा शीर्ष में रॉयल्टी जमा नहीं करने की जिम्मेदारी तय कर सकता है।

---

[27] बलौदा बाजार, एनएच–बिलासपुर, धमतरी, गरियाबंद, नं. 2–जगदलपुर, खैरागढ़, पत्थलगांव, संभाग 2–रायपुर, नं. 1 रायपुर, रायगढ़ एवं संभाग–विधान सभा

प्रकरण राज्य शासन के संज्ञान में लाया गया (जनवरी 2022, फरवरी 2022 और जुलाई 2022) परंतु दिसम्बर 2022 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

2.3.7 निष्कर्ष

राज्य शासन द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय निर्माण विभागों में ठेकेदारों के माध्यम से किये गये निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों के बाजार मूल्य के समतुल्य राशि की कटौती एवं ठेकेदार द्वारा आरसीसी जमा किये जाने तक अंतिम देयकों के भुगतान पर रोक लगाने के संबंध में सीजीएमएमआर नियमावली, 2015 में संशोधन करके रॉयल्टी समाशोधन अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया। लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग द्वारा निष्पादित ठेकों में संशोधित नियमों के अनुसार मौजूदा रॉयल्टी अनुच्छेद में संशोधन नहीं किया गया।

उपरोक्त दो निर्माण विभागों में 242 अनुबंधों के अंतिम देयकों का भुगतान ठेकेदारों से निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिज के आरसीसी प्राप्त किये बिना किया गया। आगे, 203 अनुबंधों में आरसीसी के समर्थन के बिना निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों का बाजार मूल्य ठेकेदारों के देयकों से नहीं काटा गया था। कलेक्टर द्वारा बाजार दर जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 12 जिलों में 66 अनुबंधों के अंतर्गत, 20 संभागों के ठेकेदारों से गौण खनिजों के बाजार मूल्य ₹ 137.61 करोड़ की वसूली नहीं की गयी। आगे, कलेक्टरों द्वारा बाजार मूल्य जारी किये जाने के बावजूद निर्माण विभागों के 47 संभागों में 137 अनुबंधों के अंतर्गत गौण खनिजों के बाजार मूल्य की राशि ₹ 169.48 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

लोक निर्माण विभाग के 44 संभागों में 142 अनुबंधों में ठेकेदारों के देयकों से रॉयल्टी प्रभार के रूप में वसूल की गई राशि ₹ 65.39 करोड़ को निर्माण विभाग के निक्षेप शीर्ष में रोक कर रखा गया तथा खनिज साधन विभाग के अंतिम लेखा शीर्ष में अंतिम देयक के भुगतान के एक माह की अवधि के अन्दर जमा नहीं किया गया। यह विलंब छः से 47 महीनों के मध्य था।

इस प्रकार, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी आदेशों की अनुपालन नहीं करने के परिणामस्वरूप आरसीसी प्राप्त किये बिना अनुबंधों का अनियमित रूप से अंतिमीकरण किया गया एवं ठेकेदारों से शासकीय कार्यों में उपयोग किये गये गौण खनिजों के बाजार मूल्य की वसूली नहीं होने के कारण राज्य शासन को राजस्व की हानि हुई।

2.3.8 अनुशंसाएं

1. ***शासन को राजस्व की हानि से बचाने के लिए निर्माण विभाग को ठेकेदारों से आरसीसी नहीं दिये जाने पर रॉयल्टी एवं डीएमएफ के साथ गौण खनिजों के बाजार मूल्य की वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए।***
2. ***निर्माण विभाग को शासकीय कार्यों में उपयोग किए गए खनिजों के लिए ठेकेदार द्वारा आरसीसी जमा करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि इसके स्त्रोत की वैधता सुनिश्चित की जा सके और गौण खनिजों के अप्राधिकृत परिवहन एवं उपयोग को रोका जा सके।***
3. ***रॉयल्टी प्रभारों की कटौती से संबंधित अनुबंध के प्रावधान में गौण खनिजों के उपयोग से संबंधित प्रचलित आदेशों एवं नियमों के अनुसार उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए।***
4. ***निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित किए जा रहे समस्त अनुबंध कार्यों का संपूर्ण डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिए और इन कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों के समुचित अभिलेख रखे जाने चाहिए। निष्पादित कार्यों में उपयोग किए गए गौण***

खनिजों की वास्तविक मात्रा के आधार पर ठेकेदारों के देयकों में से रॉयल्टी की कटौती की जानी चाहिए।

5. *रॉयल्टी प्रभारों की वसूली और शासकीय खाते में उनके समय पर प्रेषण की निगरानी के लिए एक पर्याप्त निगरानी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।*

जल संसाधन विभाग

2.4 मानक विशिष्टियों (भारतीय मानक–456:2000) के अनुसार सीमेंट कंक्रीट कार्यों का निष्पादन

2.4.1 प्रस्तावना

जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख जल संरक्षण एजेंसी है, जो राज्य में सिंचाई, पेयजल एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल संसाधन विभाग की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का रूपांकन तैयार करना तथा निर्माण करना है। इन परियोजनाओं में बांधों, बैराजों, जलाशयों, एनीकटों और नहरों का निर्माण शामिल है, जिसके लिए वृहद मात्रा में कंक्रीट कार्यों की आवश्यकता होती है। सिंचाई परियोजनाओं का गुणवत्ता नियंत्रण करना जल संसाधन विभाग के प्रमुख कार्यों में से एक है।

वर्तमान के वर्षों में, कंक्रीट संरचनाओं का स्थायित्व सभी कंक्रीट प्रौद्योगिकीविदों के लिए चिंता का कारण बन गया है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भारतीय मानक (आईएस) कोड 456:2000– ''प्लेन और रीईनफोर्स्ड कंक्रीट की कोड ऑफ प्रैक्टिस'' को अपनाया, जो स्वीकार्य मानदण्ड, लक्षित शक्ति और परीक्षण की आवृत्ति के माध्यम से स्थायित्व की आवश्यकताओं को वर्णित करता है। उपरोक्त उल्लिखित आईएस कोड में कंक्रीट के लिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के अनुपालन हेतु आवश्यकतानुसार समय–समय पर विभिन्न संशोधन किए गए थे।

जल संसाधन विभाग को मानक विशिष्टियों (भारतीय मानक–456:2000) के अनुसार विशेष रूप से सीमेंट कंक्रीट कार्य के निष्पादन में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी, जैसा कि दरों की अनुसूची (एसओआर) के विभिन्न टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, मानक विशिष्टियों (भारतीय मानक–456:2000) के अनुरूप सीमेंट कंक्रीट कार्यों के निष्पादन पर केंद्रित जल संसाधन विभाग का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया था और इसके अनुपालन नहीं होने के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है।

2.4.2 संगठनात्मक संरचना

प्रधान सचिव/सचिव शासन स्तर पर जल संसाधन विभाग के प्रमुख होते हैं, जबकि प्रमुख अभियंता, विभाग के प्रमुख होते है एवं शासन के तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं और जल संसाधन विभाग की समग्र कार्यप्रणाली के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं। विभाग को मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में पाँच परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। परिक्षेत्रों को आगे 11 मंडलों में विभाजित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता, अधीक्षण अभियंता करते हैं। उक्त मंडलों के अंतर्गत 62 संभाग हैं जिनके अंतर्गत 291 उप–संभाग कार्यरत हैं। संभाग और उप–संभाग का नेतृत्व क्रमशः कार्यपालन अभियंता और उप संभाग अधिकारी करते हैं और वे विभिन्न कार्यों/योजनाओं को लागू करने और उनके निष्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

जल संसाधन विभाग की संगठनात्मक संरचना

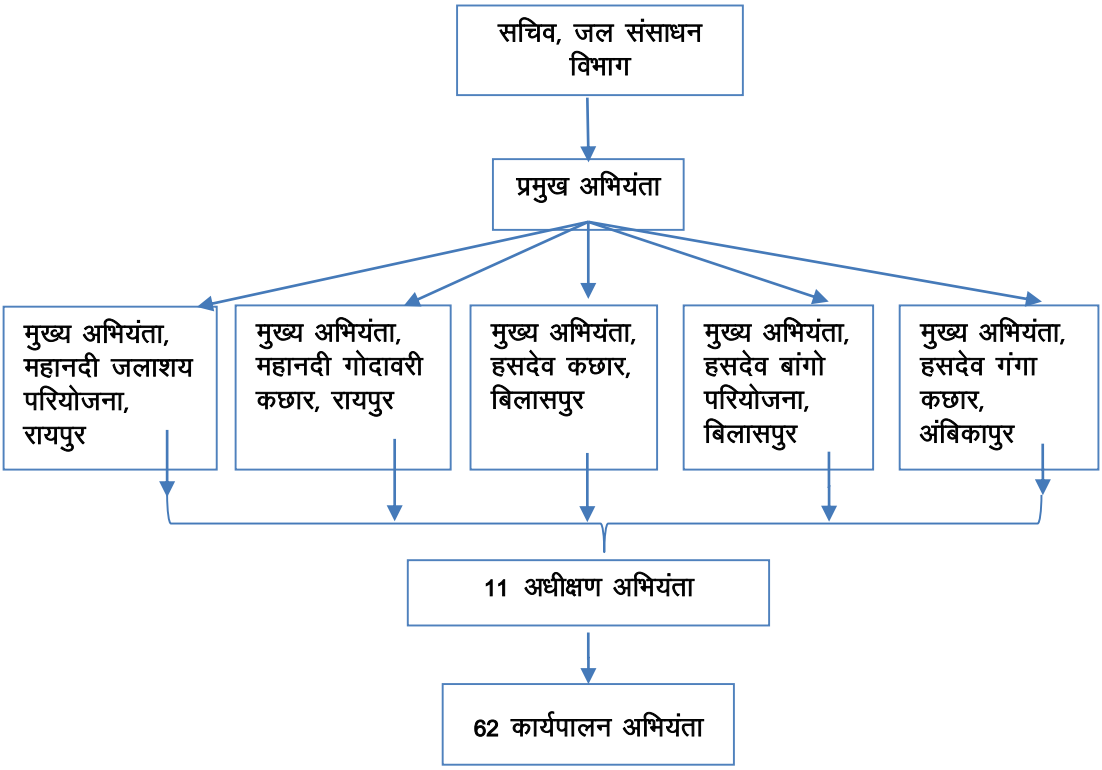

2.4.3 वित्तीय निष्पादन

प्रमुख अभियंता, बजट नियंत्रण अधिकारी होता है और योजना बनाने, अनुमोदन प्राप्त करने और निधियों के उपयोग के लिए शासन के प्रति उत्तरदायी होता है। वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान विभाग का वर्षवार आबंटन एवं व्यय **तालिका 2.4.1** में दिया गया है:

तालिका 2.4.1: वर्षवार आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल आवंटन	कुल व्यय
2018–19	2403.37	1545.16
2019–20	2143.73	1092.70
2020–21	2217.75	1124.58

(स्त्रोतः प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी)

2.4.4 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं पद्धति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों के खंड 3.3 के अनुसार, वर्ष 2020–22 में होने वाले अनुपालन लेखापरीक्षा की योजना के लिए ऊपर से नीचे, जोखिम–आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया था। लेखापरीक्षा योग्य 80 ईकाइयों में से 65[28] ईकाइयों, जिनमें क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण कार्यालय शामिल हैं, को अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के

[28] प्रमुख अभियंता कार्यालय, पाँच मुख्य अभियंता कार्यालय, नौ अधीक्षण अभियंता कार्यालय एवं 50 संभागीय कार्यालय

संबंध में, पाँच प्रयोगशालाओं और 11 उप–प्रयोगशालाओं में से लेखापरीक्षा ने दो प्रयोगशालाओं का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया।

लेखापरीक्षा द्वारा प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं सभी चयनित संभाग कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच सितंबर 2020 से मार्च 2021 के दौरान (मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए) और जुलाई–2021 से दिसंबर 2021[29] तक (मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए) किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा 50 संभागों में कंक्रीट कार्य में हुए भुगतान[30] की राशि के आधार पर लेखापरीक्षा जाँच हेतु 152 अनुबंधो का चयन किया गया।

2.4.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ की गई थीः

- क्या सीमेंट कंक्रीट कार्य (प्लेन सीमेंट कंक्रीटः पीसीसी एवं रीईनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीटः आरसीसी) आईएस कोड 456:2000 के निर्धारित मानकों के अनुसार निष्पादित किए जा रहे हैं।
- क्या सीमेंट कंक्रीट के गुणवत्ता परीक्षण के लिए विभाग के पास पर्याप्त श्रमशक्ति और उपकरण/मशीनरी उपलब्ध हैं।

2.4.6 लेखापरीक्षा मानदंड

विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में कंक्रीट कार्यों के निष्पादन का मूल्यांकन लेखापरीक्षा जल संसाधन विभाग के मानदंड के निम्नलिखित स्त्रोतों के संदर्भ में किया गया :

- भारतीय मानक कोड आईएस 456:2000, (चतुर्थ संशोधन–अप्रैल 2007) "प्लेन और रिइनफोर्स्ड कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस संशोधनों के साथ।
- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा संशोधनों के साथ जारी दरों की अनुसूची (2010)।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और मुख्य अभियंताओं द्वारा अनुमोदित विस्तृत प्राक्कलन।
- सिंचाई परियोजनाओं के अनुबंध और प्रासंगिक अभिलेख।

2.4.7 गुणवत्ता नियंत्रक ईकाई की संगठनात्मक संरचना

गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयां, कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित सभी परीक्षण करने के लिए उत्तरदायी हैं और विभाग के मुख्य अभियंता के अधीन कार्य करती हैं। पचास संभागों में गुणवत्ता नियंत्रण कार्य हेतु पाँच मुख्य अभियंताओं के अधीन पाँच गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं जिनमें प्रत्येक का प्रमुख अनुसंधान अधिकारी है और 11 उप प्रयोगशालाएं हैं जिनमें प्रत्येक का प्रमुख सहायक अनुसंधान अधिकारी है। अनुसंधान अधिकारी आईएस कोड में निर्दिष्ट परीक्षण करते हैं और निर्दिष्ट अधिकारियों को कार्यों की गुणवत्ता पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। विवरण आगे रेखाचित्र में दिखाया गया हैः

---

[29] अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन में विभाग की पूर्व में की गयी लेखापरीक्षा आपत्तियों को भी सम्मिलित किया गया है

[30] प्रत्येक संभाग में तीन अधिकतम भुगतान के प्रकरण

गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों की संगठनात्मक संरचना

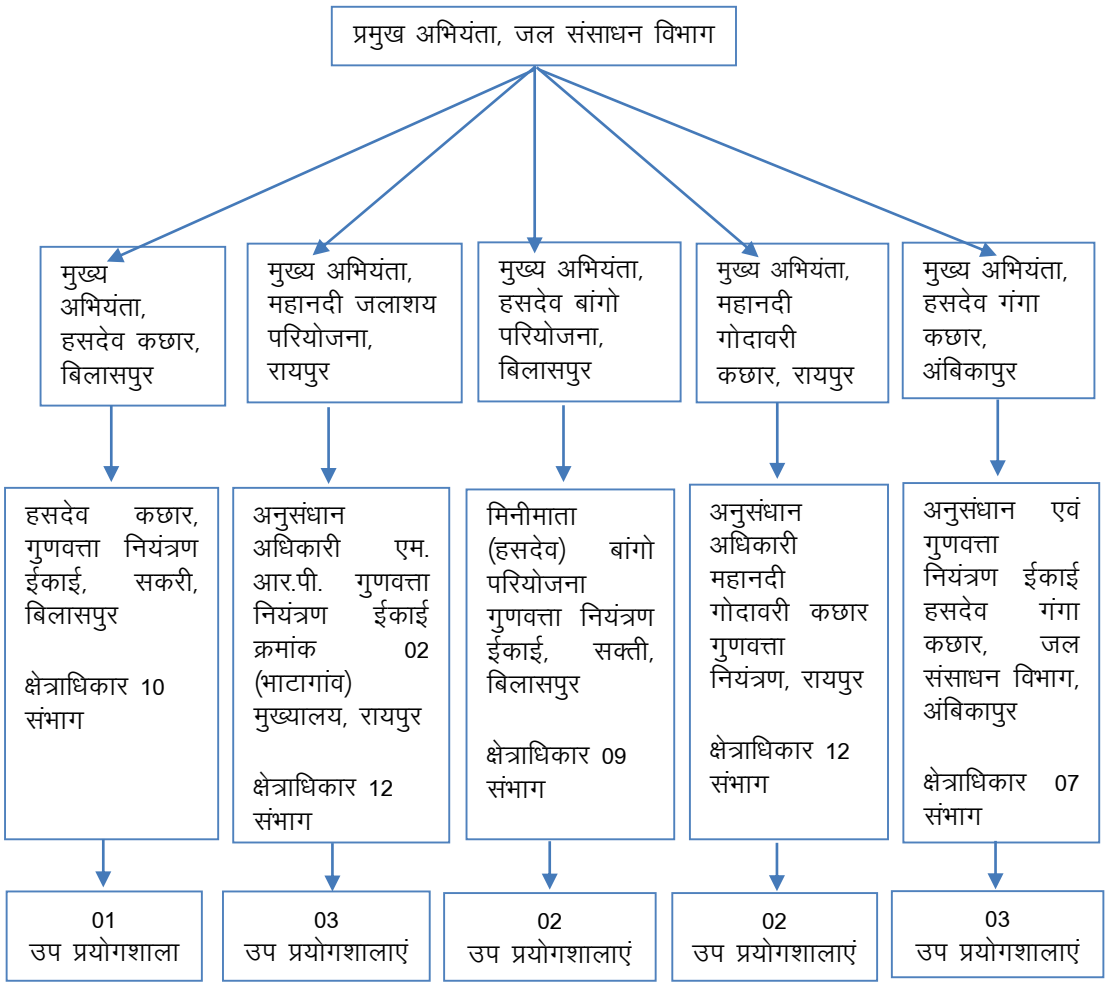

2.4.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.4.8.1 गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों में श्रमशक्ति और परीक्षण मशीनरी/उपकरणों की कमी

निर्माण विभाग संहिता के खंड–I की कंडिका 6.001 के अनुसार सभी संरचनाओं की सुरक्षा, विश्वसनीयता और स्थायित्व के लिए और भवनों एवं दुर्लभ सामग्रियों के उपयोग के लिए भी गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है।

2.4.8.1 (i) गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों में श्रमशक्ति की उपलब्धता

जल संसाधन विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण ईकाई का दायित्व कंक्रीट कार्यों से संबंधित परीक्षणों सहित विभिन्न प्रकार के परीक्षण करके सिंचाई परियोजना कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। लेखापरीक्षा ने देखा कि पाँच गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों और 11 उप–प्रयोगशालाओं में, गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारीयों/कर्मचारियों की कार्यरत अमले 81 स्वीकृत अमले के विरुद्ध मात्र 35 है। विवरण **तालिका 2.4.2** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.4.2: गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों में श्रमशक्ति की कमी

स. क्र.	मुख्य अभियंता का नाम	गुणवत्ता नियंत्रण ईकाई का नाम एवं संख्या	प्रयोगशालाओं के अंतर्गत कार्यरत उप प्रयोगशालाओं की संख्या	तकनीकी अधिकारियों/ कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या	तकनीकी अधिकारियों/ कर्मचारियों की कार्यरत संख्या	कमी	तकनीकी अधिकारियों/ कर्मचारियों की कमी (प्रतिशत में)
1	**मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर**	गुणवत्ता नियंत्रण ईकाई, सकरी, बिलासपुर	1	7	7	0	0
2	**मुख्य अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, रायपुर**	अनुसंधान अधिकारी नियंत्रण संभाग क्र. 2, भाटागांव, रायपुर	3	10	8	2	20
3	**मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, बिलासपुर**	गुणवत्ता नियंत्रण ईकाई, सक्ती	2	10	9	1	10
4	**मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर**	अनुसंधान अधिकारी गुणवत्ता नियंत्रण, रायपुर	2	51	10	41	80
5	**मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, अंबिकापुर**	अनुसंधान एवं गुणवत्ता नियंत्रण ईकाई, अंबिकापुर	3	3	1	2	67
	कुल योग	**केन्द्रीय प्रयोगशाला–5 उप–प्रयोगशाला–11**	**11**	**81**	**35**	**46**	**57**

(स्त्रोतः प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चार गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों में 80 प्रतिशत तक श्रमशक्ति की कमी थी।

इंगित किये जाने पर, प्रमुख अभियंता ने गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों में कर्मचारियों की कमी को स्वीकार किया (दिसम्बर 2021)। उन्होंने आगे कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों/कर्मचारियों की मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान करने के प्रयास किए जा रहे थे।

2.4.8.1 (ii) गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में परीक्षण मशीनरी/उपकरण की उपलब्धता

निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 6.016 के अनुसार सभी सिंचाई परियोजनाओं का गुणवत्ता परीक्षण अनुसंधान अधिकारी/सहायक अनुसंधान अधिकारी के अधीन विभाग की मुख्य प्रयोगशाला द्वारा किया जाना था। इसके अतिरिक्त, कार्य स्थलों पर क्षेत्रीय प्रयोगशाला की स्थापना की जानी थी जो दैनिक नियमित परीक्षण करने के लिए मुख्य प्रयोगशाला का हिस्सा होगी। आगे, निर्माण विभाग नियमावली के परिशिष्ट 6.02 के अनुसार कंक्रीट कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 17[31] विभिन्न मानक परीक्षण निर्धारित हैं।

[31] परीक्षणों की सूची जिनके लिए प्रयोगशाला/उप–प्रयोगशालाओं में मशीनरी/उपकरण उपलब्ध नहीं थेः (1) सिल्ट ऑन फाइन एग्रीगेट्स, (2) क्ले, फाइन सिल्ट एंड फाइन डस्ट इन एग्रीगेट (सेडीमेंटेसन मेथड) (3) सरफेस मोइस्चर कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट (हॉट प्लेट मेथड), (4) सरफेस मोइस्चर कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट, (5) बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट्स, (6) स्पेसिफिक ग्रेविटी एण्ड एयर कंटेंट्स ऑफ फ्रेश कंक्रीट, (7) कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन (8) ड्राई एंड एयर कंटेंट्स ऑफ फ्रेश कंक्रीट, (9) लेबोरेटरी परमिएबिलीटी, (10) इन–सीटू परमिएबिलीटी।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि 17 मानक परीक्षणों में से प्रयोगशालाओं/उप–प्रयोगशालाओं में केवल तीन से सात परीक्षण करने के लिए मशीनरी/उपकरण उपलब्ध थे। सभी पाँच मुख्य अभियंताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न परीक्षण करने के लिए आवश्यक 662 मशीनरी/उपकरण के विरुद्ध मात्र 492 मशीनरी/उपकरण उपलब्ध थे। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार उपलब्ध 492 मशीनरी/उपकरणों में से 81 (16 प्रतिशत) अनुपयोगी थे।

आईएस–456 कोड के अनुसार कंक्रीट के गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण के लिए दो प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है (i) कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन और (ii) क्यूब मोल्ड। यह देखा गया कि उपरोक्त दोनों मशीनरी/उपकरणों की आवश्यक 454 संख्या के विरुद्ध केवल 411 मशीनरी/उपकरण उपलब्ध थे, जिनमें से 362 कार्यशील थे और शेष 49 अनुपयोगी थे। तिरालिस मशीनरी/उपकरणों की कमी थी जो कुल आवश्यकता का नौ प्रतिशत है।

दो प्रयोगशालाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि 17 मानक परीक्षण हेतु आवश्यक 155 मशीनरी/उपकरण के विरूद्ध 34 मशीनरी/उपकरण परिचालित नहीं थे और गुणवत्ता नियंत्रण कर्मचारियों की कमी थी।

नीचे दिखाई गई तस्वीरें संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान परीक्षण मशीनों की स्थिति दर्शाती हैं।

जांजगीर तथा सकरी में स्थित गुणवत्ता नियंत्रक ईकाई के फोटोग्राफ

1. क्यूब मोल्ड्स दिनांकः 04.10.2021 (जांजगीर प्रयोगशाला)

1. कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन दिनांक 04.10.2021 (जांजगीर प्रयोगशाला)

3. इलेक्ट्रिक माइल्ड स्टील मोटर क्यूब वाइब्रेटिंग मशीन दिनांकः 06.10.2021 (सकरी प्रयोगशाला)

यह इंगित किये जाने पर प्रमुख अभियंता ने बताया (दिसम्बर 2021) कि आगामी बजट में नई मशीनरी/उपकरणों के क्रय एवं पुराने अनुपयोगी मशीनरी/उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु प्रावधान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

2.4.8.2 आईएस कोड 456:2000 के अनुरूप एसओआर नहीं होने के कारण कार्य का अनियमित निष्पादन

छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग के लिए दरों की अनुसूची (एसओआर) 1 अगस्त 2010 से लागू थी और उसमें दी गई दरें विभाग द्वारा किए गए विभिन्न सिंचाई कार्यों पर लागू थी। एसओआर के अनुसार कंक्रीट कार्यों के प्लेन सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) और रिइनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) मदों के निष्पादन हेतु ''आईएस 456:2000 प्लेन एवं रिइनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए प्रैक्टिस कोड'' (संशोधन संख्या 1 और 2 पुनः पुष्टि 2005 के साथ तीसरा संशोधन) को उद्धृत किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सिंचाई से संबंधित कार्यों (जैसे एनीकट, नहर लाइनिंग, बैराज, जलाशय, डायवर्जन योजना) की संरचनाएं संयत वातावरण के संपर्क में रहती हैं। तालिका–3 के साथ पठित आईएस कोड 456:2000, जो कि संयत वातावरण को एक ऐसे वातावरण के रूप में व्याख्या करता है, जहां अतिवृष्टि से सुरक्षित कंक्रीट की सतहें निरंतर पानी के नीचे हों या कंक्रीट नॉन–एग्रेस्सिव मिट्टी/भू–जल के संपर्क में हो या अंदर दबा हो। ऐसी वातावरणीय स्थिति में पीसीसी और आरसीसी के लिए न्यूनतम श्रेणी क्रमशः एम–15 और एम–25 होना चाहिए जैसा कि आईएस कोड की कंडिका 6.1.2 के तहत तालिका 5 में प्रावधानित है। तथापि प्रचलित दर अनुसूची में पीसीसी एवं आरसीसी कंक्रीट के न्यूनतम श्रेणी क्रमशः एम–10 एवं एम–15 प्रावधानित किया गया है। आगे, एसओआर 2010 में केवल कंक्रीट के श्रेणी की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और उसके संबंधित मिश्रण का उल्लेख किया गया था। आईएस कोड में दिए गए टार्गेटेड मीन स्ट्रेंथ और कंक्रीट के स्वीकार्य मानदंड का कहीं भी एसओआर में उल्लेख नहीं किया गया था।

प्रमुख अभियंता ने भी एक संशोधन/परिपत्र (मई 2019) जारी किया और सभी अधीनस्थ कार्यालयों को आईएस कोड 456:2000 के अनुसार कार्य निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया।

इंगित किये जाने पर प्रमुख अभियंता ने बताया (मार्च 2022) कि विभाग ने प्रचलित एसओआर–2010 को संशोधित करने का निर्णय लिया है और संबंधित अनुभाग को आईएस कोड के अनुरूप नया एसओआर तैयार करने का आदेश जारी किया गया है।

यद्यपि विभाग ने उपयोग किए जाने वाले कंक्रीट के न्यूनतम श्रेणी के लिए परिपत्र जारी किया है, परन्तु अब तक एसओआर की संबंधित मदों में उक्त संशोधन किया जाना शेष है। आईएस कोड 456:2000 का पालन नहीं करने के कारण कार्यों के अनियमित निष्पादन से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.4.8.2 (i) पीसीसी और आरसीसी कार्य का निम्न श्रेणी कंक्रीट के साथ निष्पादन

तालिका–5 के साथ पठित आईएस कोड 456:2000 की कंडिका 6.1.2 प्रतिपादित करती है कि मध्यम वातावरण के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले सीमेंट कंक्रीट की न्यूनतम श्रेणी पीसीसी के लिए एम–15[32] और आरसीसी के लिए एम–25 से कम नहीं होनी चाहिए। जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता ने भी सौम्य वातावरण (माइल्ड

[32] अक्षर एम 28 दिनों में 15–सेमी घन की निर्दिष्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के मिश्रण और संख्या को संदर्भित करता है, जिसे न्यूटन/वर्ग मिमी में व्यक्त किया गया है।

एक्सपोजर) जैसा कि आईएस कोड 456:2000 में वर्णित है, में कंक्रीट के न्यूनतम श्रेणी पीसीसी के लिए एम–15 और उससे ऊपर तथा आरसीसी के लिए एम–20 और अधिक को अपनाने के संबंध में एक परिपत्र जारी किया (मई 2019)।

48 संभागों (दो संभागों में कोई कंक्रीट कार्य निष्पादित नहीं किया गया) द्वारा निष्पादित 152 अनुबंधों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 150 अनुबंधों में आईएस कोड की अवहेलना करते हुए पीसीसी एवं आरसीसी मदों के लिए प्राक्कलन निर्धारित श्रेणी से नीचे का तैयार एवं निष्पादित किये गये थे। इन निम्न श्रेणी के कंक्रीटों की शक्ति पीसीसी के लिए एम–15 और आरसीसी के लिए एम–25 की आवश्यक शक्ति से लगभग 33 से 40 प्रतिशत कम थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 312.54 करोड़ के व्यय के साथ 851539.82 घनमीटर और 148985.71 घनमीटर के क्रमशः पीसीसी और आरसीसी कार्य का निष्पादन आईएस कोड का पालन किए बिना निम्न श्रेणी के कंक्रीट के साथ हुआ (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.1** में वर्णित है) जैसा कि **तालिका 2.4.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.4.3: एम–15 से नीचे के पीसीसी और एम–25 से नीचे के आरसीसी के विभिन्न श्रेणी का निष्पादन

कंक्रीट के प्रकार	पीसीसी		आरसीसी	
कंक्रीट का श्रेणी	1:4:8 (एम –7.5)	1:3:6 (एम–10)	1:2:4(एम–15)	1:1.5:3(एम–20)
निष्पादित मात्रा (घनमीटर में)	2852.7	848687.11	66579.01	82406.69
कुल मात्रा (घनमीटर में)		**851539.82**		**148985.71**
चल देयक के अनुसार कंक्रीट कार्य का मूल्य (करोड़ में)		**234.40**		**78.14**

(स्त्रोतः जल संसाधन विभाग के लेखापरीक्षित संभागों द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी)

आगे, आईएस कोड 456:2000 में उल्लिखित अनुसार सौम्य वातावरण में पीसीसी के लिए एम–15 और अधिक एवं आरसीसी के लिए एम–20 और अधिक के कंक्रीट के न्यूनतम श्रेणी को अपनाने के संबंध में परिपत्र जारी (मई 2019) होने के बाद 19 निविदाएं (एनआईटी) जारी की गयी थी एवं अनुबंध निष्पादित किए गए थे। इन 19 अनुबंधों में से केवल एक अनुबंध में संशोधन को पूर्ण रूप से लागू किया गया था जबकि शेष 18 अनुबंधों में संशोधन आंशिक रूप से लागू किये गए थे। परिपत्र जारी होने के बाद निष्पादित पीसीसी और आरसीसी की मदों को **तालिका 2.4.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4.4: परिपत्र जारी किये जाने के उपरांत एम–15 से नीचे के पीसीसी और एम–25 से नीचे के आरसीसी के विभिन्न श्रेणियों का निष्पादन

कंक्रीट के प्रकार	पीसीसी		आरसीसी	
कंक्रीट की श्रेणी	1:4:8 (एम –7.5)	1:3:6 (एम–10)	1:2:4 (एम–15)	1:1.5:3 (एम–20)
निष्पादित मात्रा (घनमीटर में)	0	13101.56	6357.02	2605.75
कुल मात्रा (घनमीटर में)		**13101.56**		**8962.77**

(स्त्रोतः जल संसाधन विभाग के लेखापरीक्षित संभागों द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी)

इस प्रकार विभाग द्वारा परिपत्र जारी होने के बाद भी आईएस कोड 456:2000 के विपरीत निम्न विशिष्टियों वाले कार्य निष्पादित करना जारी रखा गया।

प्रमुख अभियंता ने बताया (मार्च 2022) कि संबंधित संभागों ने पीसीसी/आरसीसी कार्य निष्पादित किया था क्योंकि ये मदें एसओआर 2010 निर्दिष्ट हैं। उन्होंने आगे बताया कि पीसीसी और आरसीसी मदों के लिए कंक्रीट की श्रेणी को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संशोधित किया गया है और सभी अधीनस्थ कार्यालयों को उपरोक्त निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। परिपत्र जारी होने के बाद एसओआर तैयार करने और आईएस कोड के अनुसार कंक्रीट कार्यों के निष्पादन के संबंध में पर्याप्त सुधार देखा गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिपत्र जारी होने के बाद भी लेखापरीक्षा द्वारा निम्न श्रेणी के कंक्रीट के उपयोग के प्रकरण देखे गए। यद्यपि विभाग ने पीसीसी और आरसीसी कार्य के लिए सौम्य परिस्थिति में कंक्रीट के न्यूनतम श्रेणी को संशोधित करने के लिए परिपत्र जारी किया था, लेकिन एसओआर में कार्यों के संबंधित मदों की प्रविष्टियों में संशोधन नहीं किया गया।

2.4.8.2 (ii) आईएस 456:2000 में निर्धारित संख्या से कम क्यूब टेस्ट किया जाना

आईएस कोड 456:2000 की कंडिका 15 के अनुसार कंक्रीट के प्रथम 50 घनमीटर के लिए 15 से.मी. x 15 से.मी. x 15 से.मी. आकार के तीन प्रतिरूपों के औसत वाले चार नमूनों का परीक्षण किया जाना चाहिए था और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 50 घनमीटर या उसके हिस्से के लिए चार के अतिरिक्त एक और नमूने का जाँच किया जाना चाहिए था। आगे, आईएस कोड की कंडिका 15.4 के अनुसार, नमूने के परीक्षण के परिणाम तीन प्रतिरूपों की शक्ति का औसत होना चाहिए। परीक्षण परिणामों में औसत के $\pm$ 15 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता को अमान्य माना जाना था।

संबंधित परियोजना के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कंक्रीट क्यूब्स की सूची, कार्य का विवरण, कंक्रीट कार्य की प्रकृति तथा ढलाई की तिथि के साथ संबंधित प्रयोगशालाओं के अनुसंधान अधिकारी/सहायक अनुसंधान अधिकारी को प्रेषित किए जाने की आवश्यकता थी। 28 दिनों के बाद अनुसंधान अधिकारी/सहायक अनुसंधान अधिकारी को परीक्षण परिणाम संबंधित संभागों के कार्यपालन अभियंता को भेजे जाने की आवश्यकता थी।

कुल 48 संभागों द्वारा निष्पादित 152 कार्य जिसमें 43 एनीकट/स्टॉपडैम, 71 सीमेंट कंक्रीट नहर लाइनिंग और संरचनाएं, 24 बैराज/व्यपवर्तन/जलाशय, नौ सुरक्षा कार्य और पाँच पुल कार्य शामिल थे, की लेखापरीक्षा जाँच से यह पता चला कि विभाग ने 16.33 लाख घनमीटर पीसीसी तथा आरसीसी का निष्पादन किया तथा उन्हें निर्धारित संख्या में क्यूब टेस्ट किए बिना स्वीकार किया गया (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.2** में वर्णित है)। कंक्रीट क्यूब नमूना परीक्षणों के आवश्यक 53,119 मात्रा के विरूद्ध एक भी नमूना परीक्षण तीन प्रतिरूपों का औसत लेकर नहीं किया गया था। जहाँ 53,119 नमूना परीक्षणों के लिए कंक्रीट क्यूब्स के 1,59,357 प्रतिरूपों की जाँच की जानी थी वहाँ केवल 7,401 (4.6 प्रतिशत) प्रतिरूपों की जाँच की गई थी। आगे, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बीजापुर[33] में आवश्यक 219 टेस्ट के विरूद्ध एक भी प्रतिरूप परीक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार कंक्रीट कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित आवृति के अनुसार कंक्रीट क्यूब परीक्षण नहीं किया गया था।

प्रमुख अभियंता ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2022) कि आईएस कोड 456:2000 में आवृत्ति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। तथापि, गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयाँ वर्तमान में अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी के साथ काम कर रहीं हैं और परीक्षण मशीनरी/उपकरणों की भी कमी थी। रिक्त पदों को भरने और मशीनरी/उपकरणों को

[33] कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बीजापुर (छत्तीसगढ) कार्य की प्रकृति–दो एनीकट एवं एक स्टॉप डैम

बदलने/खरीदने के प्रयास किए जा रहे हैं। गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों के सुधार के बाद कंक्रीट क्यूब के कॉम्प्रेसिव टेस्ट के नमूना परीक्षण की आवृति में निश्चित रूप से सुधार होगा।

2.4.8.2 (iii) कंक्रीट कार्य के निष्पादन में स्टैंडर्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की आवश्यकता का अनुपालन नहीं करना

आईएस कोड 456 की तालिका–8 के साथ कंडिका 9 तथा कंडिका 16, अनुमानित स्टैंडर्ड डेविएशन के संदर्भ में कंक्रीट के विभिन्न श्रेणी के लिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ और स्वीकार्य मानदंड निर्दिष्ट करता है। आगे, आईएस कोड 456:2000 के संशोधन 4 के अनुसार कंक्रीट के श्रेणी का स्वीकार्य मानदंड, चार नॉन–ओवरलैपिंग निरंतर परीक्षण परिणामों के समूह के औसत मान के लिए "f_{ck}[34]+3 अथवा f_{ck}+0.825*sd" के मान में से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होना चाहिए जैसा कि आईएस कोड 456:2000 के तालिका 11 में दर्शाया गया है। इसके अलावा, किसी एक परीक्षण परिणाम के लिए यह f_{ck}-3 न्यूटन/वर्ग मि.मी. से कम नहीं होना चाहिए। कंक्रीट के विभिन्न श्रेणियों के लिए लेखापरीक्षा द्वारा आईएस कोड में निर्धारित सूत्र का उपयोग करके स्वीकार्य मानदंड और टारगेट मीन स्ट्रेंथ का मान निकाला गया है, जैसा कि **तालिका 2.4.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4.5: अनुमानित स्टैंडर्ड डेविएशन एवं आईएस कोड 456:2000 के अनुसार 28वें दिन पर कंक्रीट क्यूब के कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का टारगेट मीन स्ट्रेंथ एवं स्वीकार्य मानदंड प्राप्त करने हेतु सूत्र

कंक्रीट की श्रेणी (एम–मिक्स ऑफ कंक्रीट दर्शाता है)	28 दिन का कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ (f_{ck})	अनुमानित स्टैंड्र्ड डेविएशन (sd)	टारगेट मीन स्ट्रेंथ (f_{ck}+(1.65*sd))	स्वीकार्य मानदंड (f_{ck}+3 अथवा f_{ck}+0.825*sd में से जो भी अधिक हो) निकटतम 0.5 न्यूटन/वर्ग मिमी तक
एम–10	10 न्यूटन/वर्ग मिमी	3.5	15.8	13
एम–15	15 न्यूटन/वर्ग मिमी	3.5	20.8	18
एम–20	20 न्यूटन/वर्ग मिमी	4	26.6	23.5
एम–25	25 न्यूटन/वर्ग मिमी	4	31.6	28.5
एम–30	30 न्यूटन/वर्ग मिमी	5	38.3	34
एम–35	35 न्यूटन/वर्ग मिमी	5	43.3	39.1

एसओआर में कंक्रीट की श्रेणी की सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और उससे संबंधित मिश्रण का उल्लेख किया गया था। आईएस कोड में दिए गए टारगेट मीन स्ट्रेंथ और स्वीकार्य मानदंड का एसओआर में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि प्रमुख अभियंता ने आईएस कोड 456:2000 के अनुसार स्वीकार्य मानदंड और टारगेट मीन स्ट्रेंथ दर्शाते हुए एसओआर में एक संशोधन परिपत्र जारी किया था (मई 2019), जैसा कि **तालिका 2.4.6** में दिया गया है।

[34] f_{ck} कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को सूचित करता है, sd – स्टैन्डर्ड डेविएशन

तालिका 2.4.6: संशोधन के अनुसार 28 दिनों में कंक्रीट क्यूब की स्ट्रेंथ का टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ तथा स्वीकार्य मानदंड

कंक्रीट मिक्स	28 दिनों में कंक्रीट क्यूब का टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ	28 दिनों में कंक्रीट क्यूब के स्ट्रेंथ के लिए स्वीकार्य मानदंड
एम–20	26.6 न्यूटन/वर्ग मिमी	24 न्यूटन/वर्ग मिमी
एम–25	31.6 न्यूटन/वर्ग मिमी	29 न्यूटन/वर्ग मिमी
एम–30	38.5 न्यूटन/वर्ग मिमी	34 न्यूटन/वर्ग मिमी

(स्त्रोतः प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

लेखापरीक्षा ने पाया कि 48 संभागों द्वारा निष्पादित 152 अनुबंधों में ₹ 527.57 करोड़ मूल्य के 14.53 लाख घनमीटर पीसीसी मद तथा 1.69 लाख घनमीटर आरसीसी मद के कंक्रीट कार्य (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.3** में दर्शाया गया है) का निष्पादन किया गया। नमूना जाँच किए गए अनुबंधों में टेस्ट रिपोर्ट परिणामों की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि परीक्षण किए गए 7,401 प्रतिरूपों में से केवल नौ प्रतिरूपों में टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ प्राप्त किया गया था और 540 प्रतिरूपों ने स्वीकार्य मानदंड प्राप्त किया था जबकि शेष 6,852 प्रतिरूप (93 प्रतिशत) स्वीकार्य मानदंड प्राप्त करने में विफल रहे थे जैसा कि **तालिका 2.4.5** में गणना किया गया है। इस प्रकार वांछित शक्ति (टारगेट स्ट्रेंथ) अप्राप्त रहने के कारण राशि ₹ 527.57 करोड़ मूल्य के निम्न गुणवत्ता वाले कंक्रीट कार्य का निष्पादन किया गया तथा विभाग द्वारा स्वीकार किया गया।

इस प्रकार, आईएस कोड के अनुसार परीक्षण के मानक के अनुपालन के बिना और स्टैंडर्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ सुनिश्चित किए बिना कंक्रीट के निम्न श्रेणी के साथ कंक्रीट कार्यों के निष्पादन के कारण कंक्रीट संरचना को उनके अनुमानित जीवन के पूरा होने से पहले क्षति का खतरा निहित करता है। आगे, क्षतिग्रस्त संरचना की मरम्मत और रखरखाव से परियोजना की लागत में भी वृद्धि होगी।

प्रमुख अभियंता ने बताया (मार्च 2022) कि प्रमुख अभियंता द्वारा वांछित स्ट्रेंथ एवं स्वीकार्य मानदंड के संबंध में संशोधन परिपत्र जारी किए जाने के पूर्व संबंधित संभागों ने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को वांछित स्ट्रेंथ मानते हुए पीसीसी एवं आरसीसी कार्यों का निष्पादन कर लिया था, जैसा कि एसओआर 2010 में विनिर्दिष्ट था। आगे, उन्होंने यह भी बताया कि विभाग ने लेखापरीक्षा के आपत्ति उपरांत दिनांक 26.05.2019 को संशोधन जारी कर डिजाइन स्ट्रेंथ तथा कंक्रीट कार्य के स्वीकार्य मानदंड को अलग से परिभाषित किया और तदनुसार सभी अधीनस्थ कार्यालयों को उपरोक्त संशोधनों का पालन करने का निर्देश दिया था। उक्त निर्देश जारी होने के बाद, परीक्षण रिपोर्ट में पर्याप्त सुधार देखा गया है। इसके अलावा विभाग ने रायपुर प्रशिक्षण केन्द्र में वर्ष 2021–22 से फील्ड इंजीनियरों एवं गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों के लिए पक्के कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया है।

लेखापरीक्षा नें संशोधन जारी होने के उपरांत पीसीसी और आरसीसी कार्यों के निष्पादन की भी जाँच की और पाया कि कंक्रीट क्यूब के केवल 2,235 प्रतिरूपों का परीक्षण किया गया जिनमें से एक भी प्रतिरूप वांछित टारगेट स्ट्रेंथ प्राप्त नहीं कर सका, 332 प्रतिरूपों ने स्वीकार्य मानदंड प्राप्त किए जबकि शेष 1,903 प्रतिरूप स्वीकार्य मानदंड प्राप्त करने में भी विफल रहे।

2.4.8.2 (iv) आरसीसी एवं पीसीसी कार्य का निष्पादन डिजाइन मिक्स के स्थान पर नॉमिनल मिक्स के साथ किए जाने के कारण निम्न विशिष्टियों के कार्य को स्वीकार किया जाना

आईएस कोड 456:2000 की कंडिका 9.1.1 के अनुसार डिजाइन मिक्स कंक्रीट को नॉमिनल मिक्स के स्थान पर प्राथमिकता दी जाती है। यदि एम–20 या उससे नीचे के श्रेणी के लिए किसी भी कारण से डिजाइन मिक्स कंक्रीट का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो प्रभारी अभियंता की अनुमति से नॉमिनल मिक्स का उपयोग किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रावधान के विपरीत, पाँच अनुबंधों में 2,948 घनमीटर का पीसीसी एम–25, 3,053.11 घनमीटर का आरसीसी एम–25 तथा 250.52 घनमीटर का आरसीसी एम–30 का कार्य डिजाइन मिक्स तैयार किए बिना नॉमिनल मिक्स[35] के माध्यम से निष्पादित किया गया (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.4** में दर्शाया गया है)।

प्रमुख अभियंता द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए यह बताया (मार्च 2022) गया कि नॉमिनल मिक्स के साथ आरसीसी/पीसीसी के निष्पादन में उपयोग की गई कंक्रीट की मात्रा बहुत कम थी। तथापि, संभागों को इस तरह की गलतियों की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं किए जाने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

2.4.8.2 (v) क्षतिग्रस्त कंक्रीट संरचनाएं

अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान पाँच[36] क्षतिग्रस्त संरचनाओं से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से यह देखा गया कि पाँच में से एक प्रकरण में संरचना के क्षतिग्रस्त/दरार होने के उपरांत विभाग की ओर से कोई आधिकारिक निरीक्षण नहीं किया गया था किन्तु क्षति की लागत का आंकलन करने तथा अनुमान तैयार करने हेतु अस्थायी सर्वे किया गया था। निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार दो मामलों में भारी वर्षा को संरचना के क्षतिग्रस्त होने का जिम्मेदार ठहराया गया। एक मामले (चाटापारा II एनीकट) में निरीक्षण प्रतिवेदन में संरचना क्षतिग्रस्त होने का कारण योजना में कमी तथा विभागीय मानक के अनुसार कंक्रीट का परीक्षण नहीं किये जाने के कारण कार्य की गुणवत्ता को बताया गया था। एक अन्य मामले में क्षति का कारण ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाना बताया गया।

पीसीसी और आरसीसी कार्य के निष्पादन में आईएस कोड का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये भी इन मामलों की जाँच की गयी (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.5** में दर्शाया गया है)। लेखापरीक्षा ने यह देखा कि कंक्रीट के न्यूनतम श्रेणी के उपयोग, कंक्रीट क्यूब के परीक्षण और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आवश्यकता से संबंधित आईएस मानकों का अनुपालन नहीं किया गया था। पाँच मामलों में से चार मामलों का भौतिक सत्यापन किया गया जबकि शेष एक मामला कार्यालयीन अभिलेखों से सत्यापित किया गया। चार प्रकरणों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

---

[35] नॉमिनल मिक्स: धारा 9.1 के अनुसार कंक्रीट के लिए आवश्यक घटक के मिश्रण के अनुपात को बदले बिना वांछित शक्ति प्राप्त करने के आश्वासन के साथ नॉमिनल मिक्स विधि का उपयोग किया गया था।

[36] 1. चाटापारा II एनीकट, 2. अरपा नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य का निर्माण, 3. हटकुल व्यपवर्तन योजना, 4. तूरी व्यपवर्तन योजना तथा 5. तारागाँव एनीकट

पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त चाटापारा एनीकट

छायाचित्र दिनांक: 28.07.2020

अनुबंध क्रमांक.	03 डीएल/2009–10
संभाग का नाम	जल संसाधन संभाग–कोटा
कार्य का नाम	चाटापारा II एनीकट योजना
कार्य की कुल वास्तविक लागत	₹ 7.10 करोड़
पूर्णता दिनांक	25.03.2013
क्षतिग्रस्त होने का दिनांक	25.05.2014

पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त तुरी व्यपवर्तन योजना

छायाचित्र दिनांक: 27.07.2021

अनुबंध क्रमांक	18 डीएल/2012–13
संभाग का नाम	जल संसाधन संभाग–कांकेर
कार्य का नाम	तूरी व्यपवर्तन योजना का निर्माण (शीर्ष कार्य)
कार्य की कुल वास्तविक लागत	₹ 3.74 करोड़
पूर्णता दिनांक	23.05.2014
क्षतिग्रस्त होने का दिनांक	13.08.2018

पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हटकुल व्यपवर्तन योजना

छायाचित्र दिनांक: 27.07.2021

अनुबंध क्रमांक	24 डीएल/2010–11
संभाग का नाम	जल संसाधन संभाग–कांकेर
कार्य का नाम	हटकुल व्यपवर्तन योजना का निर्माण
कार्य की कुल वास्तविक लागत	₹ 1.72 करोड़
पूर्णता दिनांक	11.09.2012
क्षतिग्रस्त होने का दिनांक	12.08.2018

तारागाँव एनीकट का क्षतिग्रस्त भाग

छायाचित्र दिनांक: 05.08.2021

अनुबंध क्रमांक	07 डीएल/2013–14
संभाग का नाम	जल संसाधन संभाग–नारायणपुर
कार्य का नाम	तारागाँव एनीकट का निर्माण
कार्य की कुल वास्तविक लागत	₹ 2.67 करोड़
पूर्णता दिनांक	17.06.2015
क्षतिग्रस्त होने का दिनांक	24.07.2021

आई एस कोड 456:2000 का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण कंक्रीट संरचना के खण्डित होने के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियंता ने बताया (मार्च 2022) कि एसओआर में विसंगति के कारण पीसीसी और आरसीसी की निम्न श्रेणी की मदें प्रदान की गयी थी क्योंकि ये मदें किफायती हैं तथा वर्ष 2010 के पूर्व प्रचलित एसओआर में प्रावधानित थी। आगे एसओआर में स्वीकार्य मानदंड तथा टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ के संदर्भ में स्पष्टता नहीं होने के कारण संशोधन जारी कर इसे सुधारा गया था।

2.4.9 निष्कर्ष

जल संसाधन विभाग ने सीमेंट कंक्रीट कार्य के निष्पादन में आईएस कोड ऑफ प्रैक्टिस 456:2000 का अनुपालन नहीं किया था। विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों में कर्मचारियों तथा मशीनरी की कमी थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि सीमेंट कंक्रीट कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित संख्या में क्यूब टेस्ट नहीं किए जा रहे थे और परीक्षण किए जाने वाले प्रत्येक नमूने के लिए तीन प्रतिरूपों का औसत नहीं लिया गया था। नमूना जाँच किए गए कार्यों में विभाग द्वारा परीक्षण किए गए 7,401 नमूनों में से 6,852 (93 प्रतिशत) नमूने स्वीकार्य मानदंड को पूरा करने में विफल रहे जो दर्शाता है कि निष्पादित कार्य का टारगेट स्ट्रेंथ प्राप्त नहीं हुआ था। विभाग ने पीसीसी कार्य (एम–15 से कम) तथा आरसीसी कार्य (एम–25 से कम) के निम्न विशिष्टियों अथवा श्रेणी का प्रावधान एवं निष्पादन किया जो कि आईएस कोड के अनुरूप नहीं था।

पाँच नमूना जाँच किए गए कार्यों में कंक्रीट के उच्च श्रेणी (एम–25 और अधिक) के लिए डिजाइन मिक्स को नहीं अपनाया गया था। इस प्रकार, आईएस कोड 456:2000 का पालन नहीं करने के कारण विभाग द्वारा निष्पादित सीमेंट कंक्रीट कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयां विफल रहीं।

2.4.10 अनुशंसाएं

1. *एसओआर को प्रासंगिक आईएस कोड के अनुरूप समय–समय पर संशोधित एवं अद्यतन किया जाना चाहिए।*
2. *गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों के प्रभावी कामकाज हेतु आवश्यक परीक्षण आवृति बनाये रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों को पर्याप्त कर्मचारियों और मशीनरी/उपकरणों से सशक्त किया जाना चाहिए।*
3. *विभाग को सिंचाई परियोजनाओं में कंक्रीट कार्य की आवश्यक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु आईएस कोड में निर्दिष्ट कंक्रीट क्यूब्स का समुचित परीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।*
4. *विभाग को सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत सीमेंट कंक्रीट कार्यों के निष्पादन में आईएस कोड विशिष्टियों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।*